

मध्यप्रदेश शासन
मछली पालन विभाग



मध्यप्रदेश मत्स्य पालन की नीति एवं
त्रि-स्तरीय पंचायतों को मत्स्योद्योग के
अधिकार / कार्यक्रम

2008

मत्स्योद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश के सौजन्य से

मत्स्य पालन

प्रस्तावना

मछली पालन एक महत्वपूर्ण ग्रामीण स्वरोजगार के रूप में, प्रदेश में लोकप्रिय है। राज्य शासन द्वारा प्रदेश में पंचायतीराज की स्थापना और अन्य कार्यक्रम के साथ मछली पालन के विकास की योजनाओं और 1000 हेक्टेयर औसत जलक्षेत्र तक के तालाब/जलाशयों का प्रबंधन त्रि-स्तरीय पंचायतों को आवंटित कर दिये जाने से, मछली पालन को त्वरित गति एवं लोकप्रियता प्राप्त हुई है, जिसके कारण अधिकाधिक जलक्षेत्र मछली पालन अन्तर्गत लाया जा रहा है। मछली पालन अब परम्परागत तरीके के अलावा अर्धगहन एवं गहन तकनीकों से किया जाने लगा है। देश की बढ़ती आबादी, बेरोजगारी तथा पौष्टिक आहार की कमी को देखते हुए, मत्स्य पालन व्यवसाय से, जहाँ एक ओर रोजगार मिलता है वहीं दूसरी ओर कम श्रम तथा कम लागत से भरपूर प्रोटीनयुक्त भोज्य पदार्थ मिलता है, साथ ही मछुओं को सामाजिक एवं आर्थिक स्तर के उन्नयन का मार्ग प्रशस्त होता है।

उपलब्ध संसाधन

वर्ष 2008-09 में प्रदेश में कुल 3.44 लाख हेक्टेयर जलक्षेत्र (सिंचाई जलाशय 2.91 लाख हेक्टेयर एवं ग्रामीण तालाब 0.53 लाख हेक्टेयर) उपलब्ध हैं जिसमें से 3.24 लाख हेक्टेयर जलक्षेत्र (सिंचाई जलाशय 2.78 लाख हेक्टेयर एवं ग्रामीण तालाब 0.46 लाख हेक्टेयर) मत्स्य पालन अंतर्गत लाया जा चुका है जो कुल जलक्षेत्र का 94 प्रतिशत है। प्रदेश में नदियों एवं सहायक नदियों की 17088 किलो मीटर लम्बाई का जलक्षेत्र भी उपलब्ध है जो कि प्रदेश के लगभग 70 हजार मत्स्य जीवियों की आजीविका का प्रमुख साधन है।

उपलब्ध जलक्षेत्र निम्नानुसार विभाग/संस्थाओं के अधिपत्य में है।

क्र	विवरण (हेक्टेर में)	आधिपत्य
1	0-10	ग्राम पंचायत
2	10 - 100	जनपद पंचायत
3	100 - 1000	जिला पंचायत
4	1000 - 2000	विभागीय / मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ(सह)मर्या.
5	2000 से अधिक	मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ(सह)मर्या.

उद्देश्य-

- उन्नत तकनीकी से समस्त ग्रामीण एवं सिंचाई जलाशयों के जलक्षेत्रों में मत्स्यपालन।
- प्रसार एवं ग्रामीण हितग्राहियों को रोजगार उपलब्ध कराना।
- मत्स्य पालक हितग्राहियों को अच्छी प्रजाति के मत्स्यबीज की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- निजी क्षेत्र में मत्स्यबीज उत्पादन को प्रोत्साहन।
- मत्स्यबीज उत्पादन बढ़ाने हेतु अधोसंरचना का विकास।
- प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाने हेतु वित्त पोषण एवं बड़े आकार का मत्स्यबीज संचयन।
- समन्वित मत्स्य पालन को प्रोत्साहन।
- सहकारी संस्थाओं का सशक्तिकरण एवं मछुओं के आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन।
- समस्त मछुआ हितग्राहियों के हित संरक्षण हेतु निशुल्क दुर्घटना बीमा।

प्राथमिकताएं—

- राज्य के मछुआरों एवं मत्स्य पालकों को मछली पालन/मत्स्याखेट के रोजगार उपलब्ध कराते हुए उनकी स्थिति एवं सामाजिक स्थिति में सुधार करना ।
- राज्य में उपलब्ध संसाधनों में वृद्धि करते हुए समस्त जल क्षेत्र, को मत्स्यपालन अन्तर्गत लिया जाना ।
- तालाबों एवं जलाशयों की मत्स्य उत्पादकता में वृद्धि के साथ मत्स्य उत्पादन का स्तर बढ़ाना ।
- राज्य की आवश्यकता के अनुरूप मत्स्यबीज की आपूर्ति स्थानीय रूप से सुनिश्चित करना ।
- मछुआरों एवं मत्स्य पालकों को प्रशिक्षित करना ।

रणनीति—

- प्रदेश के समग्र विकास एवं हितग्राही मूलक योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक जिले की विस्तृत कार्ययोजना का तैयार किया जाना ।
- मत्स्योत्पादकता बढ़ाने के प्रयासों में बड़े आकार का मत्स्यबीज संचयन एवं संवर्धन क्षेत्र के विकास हेतु मौसमी ग्रामीण तालाबों का उपयोग किया जाना ।
- समन्वित मत्स्यपालन अंतर्गत इकाईयों की स्थापना को बढ़ावा देना जिसमें झींगा सह मछली पालन कार्यक्रम का विस्तार ।
- मत्स्याखेट प्रतिबंधित अवधि में मछुआरों को राहत हेतु बचत-सह-राहत योजना का क्रियान्वयन ।
- प्रदेश के 5 नदी बेसिनो में चयनित जलाशयों व उनके कमांड एरियों के ग्रामीण तालाबों में मत्स्य पालन हेतु केन्द्रीय सहायता के माध्यम से प्रारंभ कराया जाना ।
- प्रदेश की नदियों में जैव विविधता संरक्षण एवं मत्स्य संपदा वृद्धि हेतु गहरे दहों में शासन द्वारा मत्स्यबीज संचयन की सतत योजना का क्रियान्वयन ।

राष्ट्रीय परिपेक्ष्य में प्रदेश का स्थान

क्र	योजना/कार्यक्रम	इकाई	राष्ट्रीय स्तर	प्रदेश स्तर	11वीं पंचवर्षीय योजना में स्तर 2007-12*
1	अंतर्देशीय उपलब्ध जलक्षेत्र हैक्टर	लाख हैक्टर	73.61	3.44	4.67
2	मत्स्यबीज उत्पादन (स्टे.फ्राई) अंतर्देशीय राज्यों में	लाख स्टे. फ्राई	192315	4939	6100
3	मत्स्य उत्पादन	टन	3457890	66043	74000
4	मत्स्य उत्पादकता	kg/ha/yr			
अ	ग्रामीण तालाब	kg/ha/yr	2500	1500	1800
ब	सिंचाई जलाशय	kg/ha/yr	45	54	65
5	मछुआ सहकारिता	संख्या			
अ	समिति संख्या	संख्या	11911	1681	2500
ब	सदस्य संख्या	संख्या	1919034	58528	90000

नोट —*प्राकृतिक आपदा न होने एवं सामान्य वर्षा को देखते हुए उपलब्धि दर्शाई गई है ।

मध्य प्रदेश शासन
मछलीपालन विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक--1548 / 2008 / 36
प्रति,

भोपाल दिनांक-- 08 अक्टूबर 2008

1. आयुक्त (समस्त)
2. जिलाध्यक्ष (समस्त)
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत (समस्त)
4. संचालक मत्स्योद्योग, मध्य प्रदेश भोपाल.
5. संयुक्त संचालक, मत्स्योद्योग (समस्त)
6. उप संचालक मत्स्योद्योग, (समस्त)
7. सहायक संचालक मत्स्योद्योग, (समस्त)
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत (समस्त)
9. सचिव, ग्राम पंचायत (समस्त)

विषय - मध्यप्रदेश मत्स्य पालन की नवीन नीति एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों को मत्स्योद्योग के अधिकारों एवं कार्यक्रमों का विकेन्द्रीकरण ।

मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 53 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद् विषयक पूर्व प्रसारित समस्त आदेशों को निष्प्रभावी करते हुए राज्य शासन द्वारा पंचायत राज संस्थाओं को मछली पालन विभाग के कार्यक्रमों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु शासन आदेश क्रमांक 2886/96/36 भोपाल दिनांक 31 अक्टूबर 1996 एवं समय-समय पर संशोधित किए गए नियमों से जो उत्तरदायित्व एवं गतिविधियां अंतरित की थीं उनमें दिनांक 6 अगस्त 2008 को हुई मंत्री परिषद की बैठक अनुसार अनुमोदित मत्स्य पालन नीति वर्ष 2008 का समावेश कर निम्नानुसार उत्तरदायित्व तथा गतिविधियाँ अंतरित की जाती हैं :-

1. तालाब/जलाशय प्रबंधन के अधिकार
त्रि-स्तरीय पंचायतों, मछलीपालन विभाग एवं म. प्र. मत्स्य महासंघ के अधिकारों का प्रबंधन निम्नानुसार होगा।
 - 1.1 10 हेक्ट. औसत जलक्षेत्र तक के तालाब/जलाशय - ग्राम पंचायत ।
 - 1.2 10 हैक्टर से अधिक 100 हैक्टर औसत जलक्षेत्र तक के तालाब/जलाशय-जनपद पंचायत ।
 - 1.3 100 - 1000 हेक्ट. औसत जलक्षेत्र तक के जलाशय - जिला पंचायत।
 - 1.4 1000 हैक्टर औसत जलक्षेत्र से 2000 हैक्टर औसत जलक्षेत्र तक के उपलब्ध एवं निर्माणाधीन जलाशय के पूर्ण होने पर शासन निर्णय अनुसार मछलीपालन विभाग/म. प्र. मत्स्य महासंघ के अधीन रखा जावेगा।

- 1.5 2000 हैक्टेयर से अधिक औसत जलक्षेत्र के जलाशय म. प्र. मत्स्य महासंघ के अधीनस्थ।
- 1.6 त्रि-स्तरीय पंचायतों के तालाब/ जलाशय प्रबंधन पट्टा आवंटन के अधिकारों को पंचायतों के पास सुरक्षित रखते हुए केवल मत्स्य पालन के पट्टा आवंटन की प्रक्रिया/तकनीकी प्रक्रिया के अधिकार मत्स्य पालन विभाग के पास रहेंगे।
- 1.7 तालाब/जलाशय पट्टे पर देने से प्राप्त आय संबंधित विभाग/पंचायत के कोष में जमा होगी।
- 1.8 पट्टाराशि से प्राप्त आय का वितरण—
तालाबों की पट्टा राशि/से पंचायतों को प्राप्त राजस्व का उपयोग मत्स्योद्योग विकास एवं परम्परागत मछुओं के कल्याणार्थ किया जावेगा।
2. मछुआ सहकारी समितियों को ऋण एवं अनुदान स्वीकृत करने का अधिकार जिला पंचायत को होगा, जिसके नियम एवं प्रणाली (परिशिष्ट-5 से 9 एवं परिशिष्ट-12 से 13) संलग्न है।
3. पंचायतों को मत्स्योद्योग विभाग की निम्नलिखित परियोजनाओं/कार्यक्रमों को हस्तांतरित किया जाता है :-
 - 3.1 मत्स्य पालन प्रसार—
अनुसूचित जनजाति/जातियों के मछुआरों को मछली पालन के लिए पट्टा अवधि में अधिकतम रूपये 15,000/-का अनुदान दिया जाता है।
 - 3.2 सिंचाई जलाशयों में मत्स्योद्योग विकास —
1000 हैक्टर तक के जलाशयों को समितियों को पट्टे पर देकर मत्स्योत्पादन तथा मत्स्य उत्पादकता बढ़ाना है।
 - 3.3 मछुआरों का प्रशिक्षण —
सभी श्रेणी के मछुआरों को मछली पालन की तकनीक, मछली पकड़ना, जाल बुनना, नाव चलाना इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाता है।
 - 3.4 मछुआ सहकारी समितियों को सहायता— पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों को मछली पालन हेतु तालाब पट्टा, मत्स्यबीज, मत्स्याखेट उपकरण जैसे नाव, जाल आदि के क्रय हेतु ऋण एवं अनुदान दिया जाता है।
 - 3.5 अनुसूचित जनजाति/जाति की मछुआ सहकारी समितियों को अनुदान—
मछुआ सहकारी समितियों को प्रथम पट्टा अवधि में 100 हैक्टर औसत जलक्षेत्र तक हिस्सा पूंजी, तालाब पट्टा, मत्स्यबीज एवं नाव जाल क्रय के लिए अधिकतम रूपये 1,50,000/- का अनुदान दिया जाता है।
उक्त परियोजनाओं/कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण (परिशिष्ट-10 से 14 में) संलग्न है।
4. अमला—
उपरोक्त उल्लेखित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु मत्स्योद्योग विभाग के जिला स्तर पर पदस्थ मछली पालन विभाग के जिलाधिकारी मय अमले

के जिला पंचायत के नियंत्रण में कार्य करेगा, अंतरित किए कार्यों के संपादन के लिए जिला पंचायत को दिया जा रहा अमला जिला पंचायत के नियंत्रण में कार्य करते हुए मत्स्योद्योग विभाग की योजनाओं एवं कार्यक्रमों को कार्यान्वित करेगा ।

5. मत्स्य कृषक विकास अभिकरण—

मत्स्य कृषक विकास अभिकरण के अध्यक्ष जिला कलेक्टर के स्थान पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी होंगे । यह अमला जिला पंचायत के नियंत्रण में कार्य करते हुए मत्स्योद्योग विभाग की योजनाओं एवं कार्यक्रमों को कार्यान्वित करेगा ।

5.1 ग्रामीण तालाबों को मत्स्य पालन हेतु पट्टे पर देना—

10 हैक्टर औसत जलक्षेत्र तक के तालाबों के पट्टे शासन नीति, निर्देशों, प्राथमिकता एवं निर्धारित अवधि के लिए हितग्राहियों को पट्टे पर दिलाना । सभी स्तर की पंचायतें ग्रामीण तालाब 10 वर्ष की अवधि के लिए तथा सिंचाई जलाशय 10 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर देंगी, जिसका अनुमोदन नियमानुसार ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत के लिए प्राधिकृत अधिकारी कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर एवं जिला पंचायत के लिए प्राधिकृत अधिकारी आयुक्त/अपर आयुक्त से प्राप्त करेंगी । शासन नीति के विरुद्ध त्रि-स्तरीय पंचायतों द्वारा तालाब पट्टे पर दिए जाने पर मछली पालन विभाग के जिला अधिकारी तत्काल प्रकरण तैयार कर सक्षम प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे ।

5.2 बैंक ऋण के प्रस्ताव तैयार कर उन्हें स्वीकृत कराना—

मत्स्य कृषक विकास अभिकरण के हितग्राहियों के मत्स्य पालन संबंधी गतिविधियों के लिए बैंक ऋण के प्रस्ताव तैयार करना तथा बैंक ऋण दिलाना ।

5.3 सहायता राशि का वितरण—

निर्धारित पद्धति अनुसार आर्थिक सहायता का वितरण करना ।

5.4 ग्रामीण तालाबों में मत्स्योत्पादन/सघन मत्स्यपालन/समन्वित मत्स्य पालन इकाईयों का विकास, सांख्यिकी का संकलन—

मत्स्य कृषक विकास अभिकरण के हितग्राहियों को मत्स्य पालन का मार्गदर्शन देना, मत्स्योत्पादन तथा प्रति हैक्टर मत्स्य उत्पादकता बढ़ाना, सघन मत्स्य पालन, समन्वित मत्स्य पालन इकाईयों की स्थापना करना ।

6. प्रचलित योजनाओं में पर्यवेक्षण के अधिकार व भविष्य की योजनाओं हेतु प्रशासकीय अनुमोदन व पर्यवेक्षण के अधिकार जिला पंचायत को दिए जाते हैं ।

7. हितग्राही मूलक योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों का चयन ग्राम सभा/सक्षम समिति द्वारा किया जाकर मछली पालन विभाग के जिला अधिकारी को भेजेंगे । मछली पालन विभाग के जिला अधिकारी जिला पंचायतों से प्रस्ताव का अनुमोदन प्राप्त करेंगे ।

8. जिला पंचायतों को हस्तांतरित कार्य, कार्यक्रमों एवं योजनाओं का मासिक प्रगति प्रतिवेदन (वित्तीय एवं भौतिक) प्रति माह मछली पालन विभाग के जिला अधिकारी द्वारा मछली पालन विभाग के संभागीय अधिकारी एवं संचालक मत्स्योद्योग को नियमित रूप से भेजा जावेगा ।
9. अनुसंधान कार्य, अमले का प्रशिक्षण, मत्स्यबीज उत्पादन संबंधी समस्त कार्य, मत्स्यालय, मत्स्य विज्ञान केन्द्र का संचालन एवं प्रबंधन भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त केन्द्र क्षेत्र एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं (मत्स्य कृषक विकास अभिकरण को छोड़कर) का क्रियान्वयन मत्स्योद्योग विभाग द्वारा सीधे किया जावेगा ।
10. संभाग में पदस्थ मछली पालन विभाग के संभागीय अधिकारी संभाग अंतर्गत स्थित जिले में कार्यान्वित राज्य सेक्टर के कार्य एवं पंचायतों को अंतरित कार्यक्रमों एवं योजनाओं के पर्यवेक्षण, नियंत्रण, मार्गदर्शन अनुश्रवण तथा तकनीकी अनुसमर्थन के लिए उत्तरदायी होंगे तथा सूचना का प्रवाह एवं जानकारी का संकलन उनके द्वारा किया जावेगा । विभाग का जो अमला पंचायत के अधीन नहीं किया गया है, उसका सीधा नियंत्रण मछली पालन विभाग के संभागीय अधिकारी द्वारा किया जावेगा । मछली पालन विभाग के संभागीय अधिकारी, जिले के मछली पालन विभाग के जिला अधिकारी के कार्यालयों का निरीक्षण एवं आडिट तथा अभिकरणों के निरीक्षण करने के लिए अधिकृत रहेंगे । मछली पालन विभाग के जिला अधिकारी द्वारा जिले में नीति का निर्धारण, कार्यक्रमों का निर्धारण, राज्य की योजनाओं को अंतिम स्वरूप देना, पंचायत सेक्टर की योजनाओं पर यथा आवश्यक नियंत्रण रखना, कार्यक्रमों का मूल्यांकन अनुश्रवण, नियंत्रण तथा मार्गदर्शन देना इत्यादि रहेगा तथा नीतिगत निर्णय लेने का राज्य शासन का अधिकार एवं कर्तव्य बना रहेगा । संभाग और उसके ऊपर के स्तर के विद्यमान कार्य, अधिकार एवं दायित्व यथावत् रहेंगे ।
11. **बजट व्यवस्था एवं वित्तीय अधिकार -**
राज्य शासन द्वारा प्रदत्त वित्तीय अधिकारों का प्रयोग करते हुए मछली पालन विभाग के जिला अधिकारी, जिला पंचायत को अंतरित कार्य/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु धनराशि का आहरण जिला पंचायत के नियंत्रण एवं निर्देशानुसार करेंगे । मछली पालन विभाग के जिला अधिकारी, जो कि पदेन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मत्स्य कृषक विकास अभिकरण होगा, उन्हें प्रदत्त वित्तीय अधिकारों का उपयोग करते हुए अभिकरण की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु जिला पंचायत के नियंत्रण एवं निर्देशानुसार आहरण करेंगे ।
12. **प्रशासनिक अधिकार -**
12.1 मत्स्योद्योग विभाग का जो अमला जिला पंचायत के नियंत्रण में कार्य करेगा, उस अमले की सेवा शर्तें, वेतन एवं भत्ते के भुगतान की पद्धति पदोन्नति एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही पूर्ववत् रहेगी । इस अमले का सेवा अभिलेख तथा सामान्य भविष्य निधि संधारण आदि पूर्ववत् विभाग के अधीन रहेगा, साथ ही पंचायतों को हस्तांतरित परियोजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए अमला जिला पंचायत के प्रति भी उत्तरदायी रहेगा ।

12.2 अनुशासनात्मक कार्यवाही -

जिला पंचायत द्वारा चतुर्थ श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के आदेश दिए जाने पर मछली पालन विभाग के जिला अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह नियमानुसार पूर्ण परीक्षण कर की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन जिला पंचायत को प्रस्तुत करें। तृतीय श्रेणी के अधिकारी / कर्मचारियों के बारे में अनुशासनात्मक कार्यवाही जो पूर्व में मछली पालन विभाग के जिला अधिकारी करते थे वह अब जिला पंचायत / मछली पालन विभाग के संभागीय अधिकारी करेंगे। मछली पालन विभाग के जिला अधिकारी के विरुद्ध शिकायत या कार्यवाही का प्रस्ताव जिला पंचायत द्वारा दिए जाने पर कार्यवाही मछली पालन विभाग के संभागीय अधिकारी द्वारा की जावेगी, यदि किसी अमले के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाना आवश्यक हो तो जिला पंचायत द्वारा इसकी प्रारंभिक जांच करवाई जाकर, जांच प्रतिवेदन मय आवश्यक दस्तावेज एवं अधिरोपित, आरोप अभिकथन पत्रक, गवाहों की सूची एवं अपनी अनुशंसा के साथ संभाग के मछली पालन विभाग के संभागीय अधिकारी को भेजेंगे। संभागीय मछली पालन अधिकारी उनका प्रदत्त अधिकारों के तहत कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थापित कर निर्णय लेंगे एवं दण्ड अधिरोपित करेंगे। मछली पालन विभाग के संभागीय अधिकारी उनके अधिकार सीमा के बाहर के प्रकरणों में प्रस्ताव अपने मत सहित संचालक मत्स्योद्योग को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजेंगे।

12.3 गोपनीय प्रतिवेदन-

जिले में पदस्थ तृतीय / चतुर्थ श्रेणी अमले का गोपनीय प्रतिवेदन विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में मछली पालन विभाग के जिला अधिकारी द्वारा प्रथम अभिमत अंकित कर द्वितीय अभिमत के लिए जिला पंचायत को प्रस्तुत किया जावेगा। जिला पंचायत अपना द्वितीय अभिमत अंकित कर संचालक मछली पालन विभाग को भेजेंगे। मछली पालन विभाग के जिला अधिकारी, के गोपनीय प्रतिवेदन पर प्रथम मत जिला पंचायत द्वारा अंकित किया जावेगा। द्वितीय अभिमत के लिए वे प्रतिवेदन मछली पालन विभाग के संभागीय अधिकारी को भेजेंगे, जो अपना द्वितीय अभिमत अंकित कर प्रतिवेदन संचालक मत्स्योद्योग को भेजेंगे। अभिकरणों में नियुक्त कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन मछली पालन विभाग के जिला अधिकारी / पदेन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मत्स्य कृषक विकास अभिकरण के पास सुरक्षित रहेंगे।


12.4 अवकाश स्वीकृति-

तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के अधिकारियों / कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाश एवं अन्य अवकाश के अधिकार मछली पालन विभाग के जिला अधिकारी के अधीन रहेंगे। तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) के केवल अर्जित अवकाश / चिकित्सा अवकाश के अधिकार मछली पालन विभाग के संभागीय अधिकारी को रहेंगे। मछली पालन विभाग के जिला अधिकारी के अवकाश मछली पालन विभाग के संभागीय अधिकारी द्वारा स्वीकृत किए जावेंगे। मछली पालन विभाग के संभागीय अधिकारी अवकाश स्वीकृति की सूचना जिला पंचायत को देंगे।

12.5 वेतन वृद्धियां—

वेतन वृद्धियों की स्वीकृति पूर्ववत् सक्षम अधिकारी द्वारा शासन नियमों के तहत की जावेगी ।


पूर्व में जारी निर्देश क्रमांक एफ-23-23/2004/36, भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2008 को निरस्त करते हुए संशोधित आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।


प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन मछली पालन विभाग
भोपाल

पृ0क्र0 / 1549 / 135 / सह / 2008 / 36
प्रतिलिपि -

भोपाल दिनांक 08 अक्टूबर 2008

1. प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
3. सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
4. प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ (सहकारी) मर्यादित, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।


प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन मछली पालन विभाग
भोपाल

भाग-एक

पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत मछली पालन के लिए पंचायतों द्वारा ग्रामीण तालाब तथा 1000 हैक्टर औसत जलक्षेत्र तक के सिंचाई जलाशय पट्टे पर देने के संबंध में

नीति एवं निर्देश

राज्य शासन द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों, नगर पंचायत, नगर पालिका तथा नगर निगम और अन्य विभाग को उनके अधिकारिता के तालाब/जलाशय में मत्स्य पालन हेतु पट्टा देने का अधिकार सौंपा गया है। मध्य प्रदेश शासन, मछली पालन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक- 1548/2008/36 भोपाल, दिनांक 08/10/2008 के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायतों, वन, ऊर्जा, स्थानीय प्रशासन आदि समस्त विभागों के अधिकारिता के समस्त तालाब/जलाशयों के जलक्षेत्र का मत्स्य पालन हेतु पट्टा आवंटन एवं उसके मत्स्य विकास हेतु एक समान नीति का पालन किया जावेगा।

पंचायतों के स्वामित्व के अधीन तालाबों का रख-रखाव संबंधित पंचायतों द्वारा किया जावेगा। जल संसाधन विभाग के स्वामित्व वाले जलाशयों का रख-रखाव जल संसाधन विभाग द्वारा की गई व्यवस्था अनुरूप होगा। जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित जलाशयों को पट्टे पर देने हेतु गठित समिति में जल संसाधन विभाग के संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों को भी सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जावेगा।

किसी तालाब/जलाशय का क्षेत्र दो या उससे अधिक पंचायतों की सीमा में आने पर उस तालाब का प्रबंधन उस पंचायत के अधीन होगा, जिसके अंतर्गत उस तालाब/जलाशय का अधिकांश क्षेत्र आता हो, विवाद की स्थिति में इसका निर्णय जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा लिया जावेगा। जलाशय/तालाब के प्रबंध एवं रख-रखाव में खर्च आदि कोई हो तो पंचायतों द्वारा उनके अधीन आने वाले क्षेत्र के अनुपात में वहन किया जावेगा। इसी प्रकार मत्स्य पालन से होने वाली आय का बंटवारा पंचायतों को उनके सीमा में आने वाले क्षेत्रफल के अनुपात में होगा। इन निर्देशों के अधीन मत्स्योद्योग विभाग एवं मध्यप्रदेश राज्य मत्स्य महासंघ (सहकारी) मर्यादित, भोपाल द्वारा भी आवश्यकतानुसार तालाब पट्टे पर दिये जा सकेंगे। तालाब/जलाशय रोजगार सृजन, पंचायतों की आय सहित आय वृद्धि एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थ के उत्पादन का महत्वपूर्ण संसाधन है। अतएव समस्त जलक्षेत्र मत्स्य पालन अंतर्गत लाया जाना आवश्यक होगा।

बिन्दु क्र० 1- तालाब/जलाशय में मत्स्य पालन हेतु पट्टा आवंटन -

1.1 मछुआ की परिभाषा :-

"मछुआर वह है जो अपनी अजीविका का अर्जन मछली पालन, मछली पकड़ने या मछलीबीज उत्पादन आदि कार्य से करता हो। (वंशानुगत मछुआ जाति/धीवर (धीमर, ढीमर) भोई, कहार, (कश्यप, सिंगराहा, सोंधिया, रायकवार, बाथम) मल्लाह, नावड़ा, केवट (मुड़हा, मुड़ाहा, निषाद,) कीर, मांझी को प्राथमिकता क्रम में रखा जावेगा)।

1.2 तालाब/जलाशय प्रबंधन के अधिकार पंचायत एवं मत्स्य महासंघ के अधिकारों का प्रबंधन निम्नानुसार होगा ।

- 1— 10 हेक्ट. औसत जलक्षेत्र तक के तालाब/जलाशय—ग्राम पंचायत ।
- 2— 10 हेक्ट. से अधिक 100 हेक्ट. औसत जलक्षेत्र तक के— जनपद पंचायत ।
- 3— 100—1000 हेक्ट. औसत जलक्षेत्र तक के—जिला पंचायत ।
- 4— 1000 हैक्टर औसत जलक्षेत्र से 2000 हैक्टर तक के उपलब्ध एवं निर्माणाधीन जलाशय के पूर्ण होने पर शासन निर्णय अनुसार विभाग/महासंघ के अधीन रखा जावेगा ।
- 5— 2000 हैक्टेयर से अधिक औसत जलक्षेत्र के जलाशय मत्स्य महासंघ के अधीनरथ ।

त्रि-स्तरीय पंचायतों के तालाब/जलाशय प्रबंधन के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए केवल मत्स्य पालन के पट्टा आवंटन की प्रक्रिया/तकनीकी प्रक्रिया के अधिकार मत्स्य पालन विभाग के पास रहेंगे ।

ग्रामीण तालाबों को मत्स्य पालन हेतु पट्टे पर देना —

10 हैक्टेयर औसत जलक्षेत्र तक के तालाबों के पट्टे शासन नीति, निर्देशों, प्राथमिकता एवं निर्धारित अवधि के लिए हितग्राहियों को पट्टे पर दिलाना । सभी स्तर की पंचायतें ग्रामीण तालाब 10 वर्ष की अवधि के लिए तथा सिंचाई जलाशय 10 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर देगी, जिसका अनुमोदन नियमानुसार ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत के लिए प्राधिकृत अधिकारी कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर एवं जिला पंचायत के लिए प्राधिकृत अधिकारी आयुक्त/अपर आयुक्त से प्राप्त करेंगी ।

राज्य शासन द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों को तालाब/जलाशय पट्टे पर देने हेतु अधिकार दिए गए हैं परन्तु यदि कोई तालाब/जलाशय नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर पालिका निगम, वन, ऊर्जा विभाग की किसी संस्था/निकाय के अधीन हों, तो उनके पट्टे का आवंटन उन निकाय/विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा शासन, मछली पालन विभाग की मंत्री परिषद से पारित नीति के अनुसार 10 वर्ष की अवधि के लिये किया जावेगा तथा इससे कम अवधि के लिये नहीं किया जावेगा और उनकी नीलामी भी नहीं की जा सकेगी ।

त्रि-स्तरीय पंचायतों के तालाब/जलाशयों के अनुरूप समस्त विभाग/संस्थाओं के जलाशयों के जलक्षेत्र का पट्टा एवं उसके मत्स्य विकास हेतु प्रदेश के सभी जलक्षेत्र में मत्स्य पालन की एक समान नीति का पालन किया जावेगा । इन निर्देशों के अधीन मत्स्योद्योग विभाग एवं मध्य प्रदेश राज्य मत्स्य महासंघ (सहकारी) मर्यादित भोपाल द्वारा भी आवश्यकतानुसार तालाब पट्टे पर दिए जा सकेंगे एवं मत्स्योद्योग विभाग तथा मध्यप्रदेश राज्य मत्स्य महासंघ (सह.) मर्यादित भोपाल को विभागीय आवश्यकताओं हेतु तालाबों/जलाशयों की आवश्यकता होने पर त्रि-स्तरीय पंचायतें, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम एवं अन्य विभागों से तालाब/जलाशय इसी नीति के अनुसार पट्टे पर लिए जा सकेंगे ।

त्रि-स्तरीय पंचायतें मध्यप्रदेश पंचायत अधिनियम, 1993 की धारा 65 के अंतर्गत तालाब/जलाशय को 10 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर देने के लिए अनुमति, सक्षम प्राधिकृत अधिकारी से लेकर पट्टे पर देने की कार्यवाही करेंगे ।

ग्रामीण तालाब/सिंचाई जलाशय (1000 हैक्टेयर तक) में मत्स्य पालन के साथ-साथ सिंघाड़ा, कमल गट्टा, जलकृषि के लिए पट्टा प्रदान करने हेतु मछली पालन विभाग प्रक्रिया पूरी करेगा, इस प्रक्रिया में पट्टे पर आवंटित किए जाने वाले ग्रामीण तालाब/सिंचाई जलाशय (1000 हैक्टेयर तक) के लिए विज्ञप्ति जारी करवाएगा/मुनादी करवाएगा, त्रि-स्तरीय पंचायतों को निर्णय लेने के पूर्व मत्स्योद्योग विभाग से प्राथमिकता क्रम के लिए अनुशंसा पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा । विभागीय अधिकारी उक्त अनुशंसा प्रस्तुत करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि उस कार्यक्षेत्र की समितियों को विज्ञप्ति की सूचना प्राप्त हो चुकी है । त्रि-स्तरीय पंचायतों को अनुशंसा प्रस्तुत करने के 30 दिवस के अंदर यदि सक्षम त्रि-स्तरीय पंचायतों द्वारा उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किया जाता है, तो प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष मछली पालन विभाग के जिला अधिकारी द्वारा प्रकरण तथ्यों सहित प्रस्तुत कर अनुमोदन पश्चात् पट्टा आवंटन आदेश की कार्यवाही कराएगा । मत्स्योद्योग विभाग की अनुशंसा के बिना पट्टा आवंटन मान्य नहीं होगा ।

पट्टा धारक यदि समिति/समूह हो तो अनुबंध निष्पादन करते समय सदस्यों के नाम की सूची निवास स्थान के पते, आयु तथा पहचान चिन्ह के साथ सत्यापित प्रति संबंधित मछली पालन विभाग के जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेगी । समिति/समूह एक ठहराव की प्रति भी प्रस्तुत करेगी, जिसमें सर्व सम्मति/बहुमत से समिति/समूह के अध्यक्ष के द्वारा उसे अनुबंध हेतु अधिकृत किया गया हो, का उल्लेख हो । त्रि-स्तरीय पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर पट्टे की अनुमति प्राधिकृत अधिकारी से प्राप्त की जावेगी । इस प्रकार सभी औपचारिकताएं पूर्ण होने के पश्चात् पट्टा राशि जमा हो जाने पर संबंधित पंचायत द्वारा द्वितीय पक्षकार के साथ अनुबंध निष्पादित किया जावेगा । अनुबंध का प्रारूप परिशिष्ट-1 में संलग्न है पट्टाधारक को नियमानुसार अनुबंध का पंजीयन कराना होगा ।

1.3 तालाब तथा सिंचाई जलाशयों का पट्टा आवंटन/तथा प्राथमिकता

क- 1 हैक्टेयर औसत जलक्षेत्र तक के तालाब व्यक्ति विशेष हितग्राही को । प्राथमिकता क्रम वंशानुगत मछुआ जाति/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग/सामान्य वर्ग, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ।

प्राथमिकता क्रम का आशय यह है कि जब प्रथम प्राथमिकता के लोग उपलब्ध नहीं होंगे अथवा आवश्यक सदस्य संख्या का अभाव होगा, तब ही द्वितीय प्राथमिकता के लोगों का समावेश किया जा सकेगा । इसी तरह ही तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम प्राथमिकता का विचार किया जा सकेगा ।

ख- 1 हैक्टेयर से 5 हैक्टेयर औसत जलक्षेत्र तक के तालाब/जलाशय: यदि इस क्षेत्र में पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति नहीं है तब स्व-सहायता समूह/मछुआ समूह जो मछली पालन के निमित्त गठित हो और मछली पालन विभाग के जिला अधिकारी के द्वारा मान्य हो को प्राथमिकता क्रम वंशानुगत मछुआ जाति/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग/सामान्य वर्ग के स्व-सहायता समूह/समूह ।

1 हेक्टेयर से 5 हेक्टेयर तक औसत जलक्षेत्र तक के तालाब/ जलाशय के क्षेत्र में पंजीकृत मछुआ समिति नहीं है, तब, स्व-सहायता समूह/मछुआ समूह, जो केवल मछली पालन के पेशे के निमित्त गठित हो और मछली पालन विभाग के जिला अधिकारी के द्वारा मान्य हों, उन्हें निर्धारित प्राथमिकता क्रम के अनुसार पट्टा आवंटित किया जा सकेगा। परन्तु यदि जिस ग्राम पंचायत क्षेत्र और समीपवर्ती पंचायत में पाये जाने वाले तालाब को सम्मिलित कर 10 हेक्टेयर से अधिक का जलक्षेत्र बनता है और यदि पूर्व की समिति के पास पर्याप्त जलक्षेत्र उपलब्ध हो तथा प्राथमिकता क्रम के लोग कोई नवीन समिति गठित करने के इच्छुक हैं और प्रस्ताव करते हैं, तो उनका विचार प्राथमिकता से किया जावेगा।

ग-- 5 हेक्ट. से 1000 हे0 औसत जलक्षेत्र तक के तालाब/जलाशय पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति को।

प्राथमिकता क्रम बंशानुगत मछुआ जाति/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग /सामान्य वर्ग की पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों को यदि उस प्राथमिकता क्रम की समिति पंजीकृत न हो तो, उक्त प्राथमिकता क्रम की प्राथमिकता के अनुसार स्व-सहायता समूह/ मछुआ समूह को लेकिन स्व-सहायता समूह/समूह को आवश्यक होगा कि एक वर्ष में समिति पंजीकृत करावें।

(क) 5 हेक्टेयर से 1000 हेक्टेयर औसत जलक्षेत्र के तालाब/जलाशय सर्वप्रथम जलक्षेत्र की ही पंजीकृत मछुआ समिति को प्राथमिकता क्रम पर बंशानुगत मछुआ जाति/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग/सामान्य वर्ग को आवंटित किये जा सकेंगे।

(1) परन्तु चाहे वे बंशानुगत मछुआ जाति के सदस्य हो, अथवा चाहे अन्य जाति वर्ग के, उन सदस्यों को समिति से निष्कासित कर दिया जावेगा, जो अक्रियाशील/फर्जी/बिचौलिया होंगे। मछली पालन विभाग के जिला अधिकारी इसका सूक्ष्म परीक्षण करेगा। जब कभी भी अक्रियाशील/फर्जी/बिचौलिया पाये जाने की शिकायत पायी जाने पर, जांच उपरांत उसे निष्कासित कर दिया जावेगा।

(2) परन्तु, विचारणीय यह होगा कि जलक्षेत्र से संबंधित समिति यदि बंशानुगत जाति के बाहुल्य लोगों की है और उसमें अन्य जाति वर्ग के फर्जी सदस्य सम्मिलित होंगे, तो उन्हें हटा दिया जाकर इच्छुक बंशानुगत मछुआ जाति के सदस्यों को सम्मिलित किया जाना अनिवार्य होगा। इसके उपरांत भी वांछित सदस्य संख्या पूरी नहीं हो पाती है, तब प्राथमिकता क्रम की जाति/वर्ग के, वे ही सदस्य सम्मिलित हो सकेंगे।

(ख) जलक्षेत्र में पंजीकृत सहकारी समिति न होने की अवस्था में पंजीकृत सहकारी समिति के निर्धारित प्राथमिकता क्रम के समान ही मत्स्य पालन के निमित्त गठित और मछली पालन विभाग के जिला अधिकारी द्वारा प्रस्तावित मछुआ सहकारी समिति को ही प्राथमिकता दी जावेगी, लेकिन ऐसे स्व-सहायता समूह/प्रस्तावित मछुआ सहकारी समिति के लिए आवश्यक होगा कि वह पट्टा प्राप्त करने के दिनांक से 1 वर्ष की अवधि में समिति का पंजीयन कराने का वचन पत्र देगा और तदनुसार पंजीयन करावेगा।

ऐसा न होने की अवस्था में पट्टा निरस्त कर दिया जावेगा ।
जलाशय को पट्टे पर देने के लिए क्षेत्र में स्थित एक से अधिक पंजीकृत
मछुआ सहकारी समितियों से निर्धारित समय अवधि में आवेदन प्राप्त होने
की दशा में समितियों के पंजीयन दिनांक के आधार पर सबसे पुरानी तथा
क्रियाशील समिति को प्राथमिकता क्रम (वंशानुगत मछुआ जाति/अनुसूचित
जनजाति/अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग/सामान्य/वर्ग) के अनुसार
तालाब/जलाशय को पट्टे पर दिया जा सकेगा ।

1.4 मौसमी तालाब/जलाशय के जलक्षेत्र का आवंटन - निर्धारण

बारहमासी ग्रामीण तालाब का 1 हैक्टेयर जलक्षेत्र प्रति व्यक्ति को तथा सिंचाई
जलाशय का 4 हैक्टर जलक्षेत्र प्रति व्यक्ति को दिए जाने का प्रावधान होगा ।
मौसमी ग्रामीण तालाब 2 हैक्टेयर (यदि एक तालाब 2.00 हैक्टेयर का हो तो
दिया जावेगा दूसरा जलक्षेत्र शामिल नहीं माना जावेगा) प्रति व्यक्ति

1.5 पट्टा राशि का निर्धारण

ग्रामीण तालाब

अ. मौसमी ग्रामीण तालाब 0-10 हेक्टेयर 300.00 रुपये प्रति हेक्टेयर
तक (ऐसे जिनका जल फरवरी माह तक
रहता है)

ब. बारहमासी ग्रामीण तालाब 0 से 10 500.00 रुपये प्रति हेक्टेयर
हेक्टेयर एवं इससे अधिक जलक्षेत्र के
ऐसे जलक्षेत्र जो 10 हैक्टर के ऊपर के हों एवं ग्रामीण तालाब की श्रेणी में
आते हों उसमें भी बिन्दु क्र-अ एवं ब अनुसार पट्टा राशि का निर्धारण
किया जावेगा।

सिंचाई जलाशय

अ. 10 से अधिक 50 हेक्टेयर तक के 200.00 रुपये प्रति हेक्टेयर
जलाशय
ब. 50 से अधिक 200 हेक्टेयर तक तक के 150.00 रुपये प्रति हेक्टेयर
जलाशय
स. 200 से अधिक 1000 हेक्टेयर तक के 75.00 रुपये प्रति हेक्टेयर
जलाशय

0 से 10 हेक्टेयर तक के सिंचाई जलाशय जिसमें माह फरवरी मार्च तक पानी
रहता हो की पट्टा राशि मौसमी ग्रामीण तालाब की पट्टा राशि के अनुसार ही
रुपये 300/-प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष तथा बारहमासी 0 से 10 हेक्टेयर सिंचाई
जलाशय की पट्टा राशि रुपये 500/-प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष होगी ।

1.5.1 प्राकृतिक आपदा से जिस वर्ष तालाब /जलाशय में मत्स्यबीज संचय न होने
एवं मत्स्य बीज तथा संबंधित मत्स्य की क्षति होती है तो उस वर्ष की पट्टा
राशि हितग्राहियों को देय नहीं होगी ।
राजस्व पुस्तक परिपत्र की धारा-6(4) के प्रावधान अनुसार :-

(अ) नैसर्गिक आपदा यथा अतिवृष्टि, बाढ़, भूस्खलन, भूकम्प आदि से मछली
फार्म (फिशफार्म) क्षतिग्रस्त होने पर मरम्मत के लिए प्रभावित को रुपये

6000/- (रूपये छः हजार मात्र) तक प्रति हैक्टर के मान से सहायता अनुदान दिया जावेगा । अनुदान की यह राशि उन मामलों में देय नहीं होगी जिनमें सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत सहायता/ अनुदान दिया गया है ।

(ब) नैसर्गिक आपदा यथा सूखा, अतिवृष्टि, बाढ़ भूस्खलन, भूकम्प आदि से मछली पालने वालों को मछली बीज नष्ट हो जाने पर प्रभावित को रूपये 4000/- (रूपये चार हजार मात्र) तक प्रति हैक्टर के मान से सहायता अनुदान दिया जावेगा। अनुदान की यह राशि उन मामलों में देय नहीं होगी जिनमें मछली पालन विभाग की योजना के अंतर्गत एक बार दिए गए आदान-अनुदान (सबसिडी) के अतिरिक्त, सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत सहायता/अनुदान दिया गया है ।

1.6 पट्टाराशि से प्राप्त आय का वितरण-

तालाबों की पट्टा राशि से पंचायतों को प्राप्त राजस्व का उपयोग मत्स्योद्योग विकास एवं परम्परागत मछुओं के कल्याणार्थ किया जावेगा।

1.7 पट्टा राशि भुगतान करने की किश्तें-

पट्टा राशि अधिकतम तीन समान किश्तों में चार माह के अंतराल में प्राप्त की जाना चाहिए । यदि समिति/समूह/व्यक्ति समय पर पट्टा राशि भुगतान नहीं कर पाती है तो, प्रकरण पर विचार कर बकाया राशि शीघ्र जमा करने की स्थिति में बंद ऋतु को छोड़कर दो माह की छूट देकर दण्ड-ब्याज 2 प्रतिशत वार्षिक दर से लगाया जावेगा।

1.8 तालाब/जलाशय का आवंटन (पुनरावंटन)

पट्टा अवधि समाप्त होने के छैः माह पूर्व नवीन पट्टा/पुनरावंटन की कार्यवाही की जावेगी। जो तालाब/जलाशय दो बार क्रमशः मुनादी/विज्ञप्ति जारी होने के तीन माह पश्चात् भी पट्टे पर आवंटित नहीं हो सके, उन्हें मत्स्योद्योग विभाग द्वारा सक्षम प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पट्टा आवंटन की कार्यवाही की जावेगी। जलक्षेत्र से प्राप्त पट्टा राशि का उपयोग बिन्दु क्रमांक 1.6 के अनुसार किया जावेगा ।

यदि सक्षम समिति/ग्राम सभा द्वारा 30 दिवस तक प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किया जाता है तो मछली पालन विभाग के जिला अधिकारी, प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रकरण तथ्यों सहित प्रस्तुत कर अनुमोदन पश्चात् पट्टा आवंटन आदेश की कार्यवाही कराएगा ।

1.9 तालाब/जलाशय की पट्टा अवधि का निर्धारण

नवीन एवं पट्टा अवधि समाप्ति के उपरांत ग्रामीण तालाब/सिंचाई जलाशय का पट्टा आवंटन नवीन मत्स्य पालन नीति के अनुसार 10 वर्ष के लिये आवंटित किया जावेगा । पट्टा अवधि समाप्ति के उपरांत (पट्टा अवधि पूर्व में जो भी रही हो) उसे बढ़ाया नहीं जावे । प्रथम बार आवंटित किया जाने वाले ग्रामीण तालाब/सिंचाई जलाशय का पट्टा आवंटन नवीन मत्स्य पालन नीति के अनुसार 10 वर्ष के लिये आवंटित किया जावेगा. 10 से कम अवधि का पट्टा आवंटित किये जाने पर वह त्रिस्तरीय पंचायत राज अधिनियम 1993 की

धारा 65 द्वारा प्रावधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा नई नीति के अधीन निरस्त कर दिया जावेगा।

प्रथम वर्ष में पट्टे जारी करने की दिनांक से पट्टा अवधि प्रारंभ होकर 30 जून तक की होगी। यदि यह अवधि 6 माह या उससे अधिक की है, तो पट्टा धारक को पूरे वर्ष की पट्टा राशि जमा करनी होगी। यदि पट्टा अवधि 6 माह से कम होती है, तो पट्टा राशि का बारहमास के आधार पर औसत निकालकर शेष अवधि के लिए पट्टा राशि की गणना कर पट्टा राशि ली जावेगी। आगामी वर्ष में पट्टा अवधि 1 जुलाई से 30 जून तक की होगी।

1.10 पट्टाधारक द्वारा जलाशय/तालाब के विकास कार्य करना

तालाब/जलाशय में मत्स्य पालन का कार्य पट्टा धारक द्वारा ही कराया जावेगा, यदि यह कार्य पट्टाधारक द्वारा अन्य व्यक्ति से अनुबंध संपादित कर कराया जाता है तो उस तालाब/जलाशय का पट्टा निरस्त किया जावेगा।

1.11 मछली तथा अन्य जलोपज का पट्टा

जिन तालाब/जलाशय में मछली पालन के साथ पूर्व से सिंघाड़ा, कमल गट्टा आदि जलोपज का पट्टा दिया जाता है उनसे सिर्फ मछली पालन कार्य हेतु निर्धारित पट्टा राशि ली जावेगी। पंचायतों के ऐसे तालाब जिनमें पूर्व से सिंघाड़ा/कमल गट्टा आदि की फसल ली जाती रही है, को मछली पालन के साथ-साथ सिंघाड़ा/कमल गट्टा आदि की फसल के लिए उसी समिति/समूह/व्यक्ति को जिसे मछली पालन का पट्टा दिया जा रहा है, उसे ही सिंघाड़ा/कमल गट्टा आदि उत्पादन के लिए पट्टा दिया जावेगा। ऐसा इसलिए भी आवश्यक है, ताकि दोनों ही प्रकार की खेती में विवाद न हो। इनसे पृथक से पट्टा राशि न ली जावेगी।

1.12 स्टाम्प शुल्क से छूट

अधिनियम 1989 के तहत स्टाम्प ड्यूटी से छूट सभी तालाब एवं सिंचाई जलाशय जिनको मछली पालन कार्य हेतु पट्टे पर दिया जाता है के अनुबंध निष्पादन को स्टाम्प शुल्क से मुक्त रखा जावे।

1.13 जलाशय/तालाब के औसत जलक्षेत्र का निर्धारण

तालाब/जलाशय काफी पुराने होने से गांद जमा होने से उत्पादित जलक्षेत्र कम हो जाने के कारण जलक्षेत्र का पुनः आकलन कर संबंधित विभाग से कराया जावे।

1.14 अन्य विभाग/संस्थाओं के तालाब/जलाशय में मत्स्यपालन

अन्य विभाग/संस्थाओं के तालाब/जलाशय में नवीन नीति के अनुसार नीति/निर्देशों का पालन किया जावे।

बिन्दु क्रमांक 2— नदियों की प्राकृतिक मात्स्यिकी का संरक्षण तथा अभिवृद्धि हेतु सुझाव

2.1 नदियों में निःशुल्क मत्स्याखेट व्यवस्था

प्रदेश में मछुआरों के लिए नदियों में निःशुल्क मत्स्याखेट की व्यवस्था यथावत रखी जावेगी एवं मत्स्यबीज संचय किया जाता रहेगा। नदी खण्डों के गहरे दहों

के निकटतम तटवर्ती क्षेत्रों में नवीन नीति के अनुसार समिति/समूह गठित किए जावेंगे ।

2.2 बन्द ऋतु

मध्य प्रदेश नदीय (मत्स्योद्योग) नियम 1972 के प्रावधान अंतर्गत निर्दिष्ट जलक्षेत्र में प्रतिवर्ष मत्स्याखेट दिनांक 16 जून से 15 अगस्त तक प्रतिबंधित रहेगा ।

2.3 नदियों में विष, डायनामाइट, विद्युत प्रवाह से आखेट करने वालों के विरुद्ध दण्ड का प्रावधान—

मध्यप्रदेश मत्स्योद्योग पुनरीक्षित अधिनियम 1981 के निहित प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावेगा ।

2.4 मछुआ परिचय पत्र

प्रदेश के तालाब, जलाशयो एवं नदियों में मत्स्याखेट करने वाले मछुआरों तथा तालाब/ जलाशयों में मत्स्य पालन एवं मत्स्याखेट करने वाले मत्स्य पालकों को परिचय पत्र प्रदाय किया जावेगा । परिचय पत्र मछली पालन विभाग के जिला अधिकारी द्वारा, निर्धारित प्रक्रिया के तहत जारी किया जावेगा ।

2.5 मत्स्य महासंघ के वृहद एवं मध्यम जलाशयों के जलाशय क्षेत्र के ऊपरी नदीय क्षेत्र में मत्स्याखेट प्रतिबंधित करने संबंधी—

प्रदेश के मत्स्य महासंघ के वृहद एवं मध्यम जलाशयों में पूर्ण भराव जलक्षेत्र (एफ.टी.एल) से ऊपर की नदी क्षेत्र के एक किलोमीटर तक मत्स्याखेट प्रतिबंधित रखा जावेगा ।

बिन्दु क्रमांक 3— शासकीय मत्स्य हैचरियों का मूल्यांकन एवं अनुत्पादक हैचरियों का निराकरण

1. शासकीय हैचरी/प्रक्षेत्र के साथ संलग्न भूमि एवं अन्य अधोसंरचना जो मत्स्यबीज उत्पादन से संबंधित नहीं है को आफसेट दर निर्धारण में सम्मिलित न करते हुये पट्टाराशि निर्धारित की जावेगी ।
2. हैचरियों के लगे हुए तालाब/जलाशय उसी संस्था/ व्यक्ति को दिए जा सकेंगे जिन्हें हैचरी/प्रक्षेत्र पट्टे पर दिये गये हैं और इनकी पट्टावधि 10 वर्ष होगी ।
3. हैचरियां/प्रक्षेत्र को पट्टे पर देने हेतु दो विज्ञप्ति जारी होने के पश्चात् भी यदि नवीन नीति के प्राथमिकता क्रम अनुसार मत्स्य सहकारी समितियां आवेदन नहीं करती है तो अन्य व्यक्तियों को नीलामी से दिया जा सकेगा ।

बिंदु क्रमांक-4 मत्स्य सहकारी समितियों की प्राथमिक नीति को कारगर बनाना ।

4.1 मत्स्य सहकारी समितियों के फर्जी सदस्यों का निष्कासन

प्रदेश की ऐसी मत्स्य सहकारी समितियों के फर्जी सदस्यों की पहचान कर समिति से उनकी सदस्यता समाप्त की जावे । नवगठित मत्स्य सहकारी समितियों में नई सदस्यता देने के पूर्व मछुओं की पहचान मत्स्य विभाग के माध्यम से कराई जावे। मछुओं की पहचान हेतु एक प्रक्रिया/कार्यप्रणाली निर्धारित की जावे। फर्जी सदस्यों के निष्कासन हेतु एक समिति जनपद/जिला स्तर पर गठित की जावे, जिसमें मछली पालन विभाग के जिला अधिकारी, नामांकित नायब तहसीलदार संबंधित जनपद क्षेत्र का सहकारिता निरीक्षक तथा प्रत्येक जनपद क्षेत्र के मछुआ जाति के दो वरिष्ठ व्यक्ति जिनका नामांकन

कलेक्टर के द्वारा किया गया हो, को रखा जावे । फर्जी सदस्यों के निष्कासन की कार्यवाही का कड़ाई से पालन किया जावे ।

- 4.2 मत्स्य सहकारी समितियों का कार्यक्षेत्र/प्रतिव्यक्ति जलक्षेत्र / स्थानीय/ समीपवर्ती जलक्षेत्र आधारित समितियों का गठन किया जावेगा जिसमें सदस्य संख्या के अनुसार निर्धारित जलक्षेत्र के आधार पर समिति का कार्यक्षेत्र निर्धारित होगा । जलक्षेत्र के अनुसार सदस्य संख्या बढ़ानी होगी । कम जलक्षेत्र होने से उपयुक्तता के आधार पर मछली पालन विभाग के जिला अधिकारी की अनुशंसा पर समिति का पंजीयन हो सकेगा ।

प्रति व्यक्ति जलक्षेत्र का निर्धारण ।

क्र. जलक्षेत्र श्रेणी	प्रति सदस्य जलक्षेत्र (औसत) आवंटन दर
1 ग्रामीण तालाब	
1.1 बाराह मासी	1 हैक्टेयर
1.2 मौसमी	2 हैक्टेयर
2 सिंचाई जलाशय	
2.1 1000 हैक्टेयर औसत जलक्षेत्र तक	4 हैक्टेयर
2.2 1000 हैक्टेयर औसत जलक्षेत्र से अधिक के सभी जलाशय	10 हैक्टेयर

(क) अधिकाधिक बेरोजगार मछुओं को रोजगार देने की दृष्टि से जलक्षेत्र के रकबा के आधार पर स्थानीय मछुआ सहकारी समिति की सदस्य संख्या के अनुसार सुनिश्चित किया जावेगा, जो इस प्रकार होगा -

- (1) पूर्व से पंजीकृत सहकारी समिति की पात्र सदस्य संख्या के अनुपात से जलक्षेत्र सुनिश्चित किया जावेगा ।
- (2) यदि कोई पंजीकृत सहकारी समिति नहीं पायी जाती है, तो प्राथमिकता क्रम में मछली पालन विभाग के जिला अधिकारी द्वारा स्व-सहायता समूह/समूह जो मत्स्य पालन के निमित्त गठित हुआ हो, उसे मान्यता प्रदान करेगा तब ही स्व-सहायता समूह/समूह जो उक्त शर्तों को पूरा करता हो, उसे पट्टा आवंटित किया जा सकेगा ।
- (3) समिति/समूह की सदस्य संख्या से अधिक जलक्षेत्र होने की स्थिति में सदस्य संख्या बढ़ायी जाना आवश्यक होगी । सदस्य संख्या न बढ़ाये जाने की स्थिति में पट्टा निरस्त कर दिया जावेगा ।

परन्तु कोई सहकारी समिति पंजीकृत है और उसकी सदस्य संख्या अधिक है, लेकिन समीपवर्ती नगर/ग्राम/क्षेत्र में तालाब/ जलाशय न पाये जाने की स्थिति में उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिये मत्स्यबीज उत्पादन आदि विभिन्न योजनाओं पर पृथक से विचार किया जा सकेगा, परन्तु समीपवर्ती क्षेत्र में कोई तालाब/जलाशय पाये जाते हैं, लेकिन वहां

कोई सहकारी समिति पंजीकृत नहीं है, लेकिन कोई समूह या व्यक्ति मत्स्य पालन करता है, तो उस समूह/व्यक्ति को ऐसी समिति द्वारा सदस्य बनाये जाना आवश्यक होगा। यदि समूह/व्यक्ति अपने उपलब्ध जलक्षेत्र में समिति गठित करने में समर्थ नहीं है, तो वह ऐसी समिति में अनिवार्य रूप से सदस्य बनेगा। ऐसा न करने पर पट्टा निरस्त कर दिया जावेगा। ऐसी समिति जिसकी सदस्य संख्या जलक्षेत्र के नार्म्स से अधिक है, तब उसे शासन की कल्याणकारी योजनाओं के अधीन मत्स्य बीज उत्पादन/संवर्धन एवं शासन की विभिन्न रोजगारोन्मुखी योजनाओं से लाभान्वित किया जावेगा।

- 4.3 प्राथमिक मत्स्य सहकारी समितियों के पंजीयन हेतु सदस्य संख्या प्रदेश की मत्स्य पालन समितियों के पंजीयन हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या बीस होगी।
- 4.4 सिंचाई परियोजना पर विस्थापित/प्रभावित मछुआरों की समितियों का गठन सिंचाई परियोजना के निर्माण के साथ ही उससे विस्थापित एवं प्रभावित होने वाले वंशानुगत मछुआ जाति को मत्स्य पालन /मत्स्य विकास के अधिकार में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावे।

बिन्दु क्रमांक 5 - अन्य विषय

- 1- तालाब/जलाशय में मत्स्य पालन कार्य मिट्टी तथा पानी के भौतिक, रासायनिक, जैविक, गुणवत्ता के आधार पर किया जावे। इस हेतु जिला एवं संभाग स्तर पर विभागीय प्रयोगशाला स्थापित की जावे। प्रत्येक मछुआ/मत्स्यपालक को आवश्यकता पड़ने पर मत्स्य पालन हेतु मिट्टी पानी का विश्लेषण कर सुझाव दिया जावेगा।
- 2- मत्स्य पालक को स्व-रोजगार फिशरमेन क्रेडिट कार्ड प्रदाय किया जावे।
- 3- निस्तारी तालाबों से अनाधिकृत रूप से पानी निकालने पर सख्त प्रतिबंध लगाया जावेगा।

पंचायतों द्वारा मछली पालन के लिए पट्टे पर दिए गए जलाशयों से पट्टा धारक सुचारू रूप से मछली पालन का कार्य कर सके इसलिए जलाशय में आवश्यक जलस्तर बनाए रखना आवश्यक है, अपरिहार्य कारणों से तालाब/जलाशय से पानी निकाले जाने की स्थिति निर्मित होने पर पट्टा धारक को पूर्व सूचना देना आवश्यक है बिना सूचना दिए तालाब/जलाशय से पानी निकाल दिए जाने के कारण हुई हानि के लिए पट्टा राशि देय नहीं होगी। अवैध रूप से जल निकासी रोकने का सम्पूर्ण दायित्व पंचायतों का होगा।

ऐसे प्रकरण जिसमें एक व्यक्ति को तालाब/जलाशय का पट्टा दिया गया हो एवं पट्टा अवधि में पट्टा धारक की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे हितग्राही से मछली पालन के लिए, प्राप्त किए गए ऋण की वसूली हो सके, इसलिए उनके वैधानिक उत्तराधिकारियों को पट्टा शेष अवधि के लिए हस्तांतरित किया जावे।

पट्टा धारक हितग्राही/समूह/समिति यदि मछली पालन विभाग द्वारा निर्धारित मात्रा अनुसार मत्स्यबीज का संचयन नहीं करती है अथवा मत्स्य उत्पादन में उत्तरोत्तर प्रगति नहीं करता है अथवा शासन द्वारा निर्धारित नियमों/शर्तों का पालन नहीं करता है तो ऐसे प्रकरणों को भी मछली पालन विभाग के जिला अधिकारी

संबंधित पंचायत की जानकारी में लावेंगे । पंचायतें ऐसे प्रकरणों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर सक्षम अधिकारी की अनुमति से पट्टा निरस्त कर सकेंगी ।

पट्टा धारक तालाब में संचित मछली बीज, तालाब से उत्पादित मछली, विक्रय की गई मछली एवं सदस्यों को वितरित लाभांश का संपूर्ण लेखा-जोखा निर्धारित पंजी में नियमित रूप से रखेगा तथा उसे पंचायत एवं मछली पालन विभाग के अधिकारियों को उनके निरीक्षण के समय दिखाने के लिए बाध्य होगा । पट्टाधारक प्रतिमाह निर्धारित प्रपत्र में तालाब में मत्स्य पालन एवं उत्पादन की जानकारी संबंधित मछली पालन विभाग के जिला अधिकारी को देगा, निर्धारित पंजी एवं मासिक प्रगति प्रतिवेदन का प्रारूप परिशिष्ट- 2 एवं 3 संलग्न है

पट्टा धारक समिति/समूह/व्यक्ति अपने सदस्यों से ही मत्स्याखेट कार्य करावेगी अपरिहार्य स्थिति में समीपवर्ती जिला/संभाग के मछुआरों से ही सहयोग प्राप्त किया जा सकता है । किसी भी दशा में राज्य के बाहर के मछुआरों को सम्मिलित नहीं किया जावेगा ।

पट्टा धारक मत्स्योद्योग अधिनियम 1948, मध्य प्रदेश मत्स्य क्षेत्र (संशोधन अधिनियम 1981) एवं नदीय मत्स्योद्योग नियम 1972 के अनुसार नियमों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध होगा ।

व्यावहारिक कठिनाइयां आने पर मछुआ नीति/निर्देशों में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा । मछुआरों को रोजगार हेतु उनके क्षेत्र में पर्याप्त जलक्षेत्र उपलब्ध न होने की स्थिति में वैकल्पिक रोजगार देने हेतु प्रोत्साहित किया जावेगा ।

ये निर्देश जारी होने की तिथि के पश्चात् निष्पादित किये जाने वाले पट्टों पर ही लागू होंगे । इन निर्देशों के अनुसार कार्यवाही न करने से किसी पंचायत के विरुद्ध न्यायालयीन कार्यवाही होने पर शासन पक्षकार नहीं होगा न ही राज्य शासन की किसी प्रकार की जिम्मेदारी होगी । संबंधित पंचायत स्वतः जिम्मेदार होगी ।

संबंधित पंचायत संलग्न अनुबंध परिशिष्ट-1 को विधि सम्मत बनाने हेतु आवश्यकतानुसार विधि सलाहकार से परामर्श करें ।

000000

भाग-दो
नीति एवं निर्देश
मछुआ सहकारी समितियों के संबंध में

- 1- मछुआ सहकारी समिति के सदस्य बनने की पात्रता—
मछुआ सहकारी समिति केवल वही व्यक्ति सदस्य बनने का पात्र होगा जो निम्न परिभाषा अंतर्गत आते हैं ।
- 1.1 मछुआ की परिभाषा—
"मछुआ वह है जो अपनी अजीविका का अर्जन मछली पालन, मछली पकड़ने या मछलीबीज उत्पादन आदि कार्य से करता हो । (वंशानुगत मछुआ जाति/ धीवर (धीमर, ढीमर) भोई, कहार, (कश्यप, सिंगराहा, सौधिया, रायकवार, बाथम) मल्लाह, नावड़ा, केवट (मुड़हा, मुढाहा, निषाद,) कीर, मांझी को प्राथमिकता क्रम में रखा जावेगा) ।
- 1.2 प्राथमिक मत्स्य सहकारी समितियों के पंजीयन हेतु सदस्य संख्या .
प्रदेश की मत्स्य पालन समितियों के पंजीयन हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या बीस होगी ।
- 1.3 तालाब तथा सिंचाई जलाशयों का पट्टा आवंटन/ तथा प्राथमिकता —
- 1.3.1 1 हैक्टेयर औसत जलक्षेत्र तक के तालाब व्यक्ति विशेष हितग्राही को, प्राथमिकता क्रम वंशानुगत मछुआ जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जाति/ पिछड़ा वर्ग/ सामान्य वर्ग, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ।
- 1.3.2 1 हैक्टेयर से 5 हैक्टेयर औसत जलक्षेत्र तक के तालाब/ जलाशय: यदि इस क्षेत्र में पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति नहीं है तब, स्व-सहायता समूह/ मछुआ समूह जो मछली पालन के निमित्त गठित हो और जिला मछली पालन विभाग के जिला अधिकारी के द्वारा मान्य हो को । प्राथमिकता क्रम वंशानुगत मछुआ जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जाति/ पिछड़ा वर्ग/ सामान्य वर्ग के स्व-सहायता समूह/ समूह ।
- 1.3.3 5 हेक्ट. से 1000 हे0 औसत जलक्षेत्र तक के तालाब/ जलाशय पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति को। प्राथमिकता क्रम वंशानुगत मछुआ जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जाति/ पिछड़ा वर्ग / सामान्य वर्ग की पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों को यदि उस प्राथमिकता क्रम की समिति पंजीकृत न हो तो, उक्त प्राथमिकता क्रम की प्राथमिकता के अनुसार स्व-सहायता समूह/ समूह को लेकिन स्व-सहायता समूह/ समूह को आवश्यक होगा कि एक वर्ष में समिति पंजीकृत करावें ।
- 1.4 नवगठित मछुआ सहकारी समितियों में नई सदस्यता देने के पूर्व मछुओं की पहचान एवं प्रमाणीकरण मत्स्य विभाग के माध्यम से कराई जावे ।
- 1.5 नवीन सहकारी समिति के गठन के समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जावे कि मत्स्योद्योग विभाग के जिला अधिकारी की अनुशंसा

प्राप्त की गई हो एवं समस्त सदस्यों के संबंध में उनके मछुआ होने का प्रमाणिकरण किया है या नहीं ।

1.6 **मछुआ परिचय पत्र**

प्रदेश के तालाब, जलाशयो एवं नदियों में मत्स्याखेट करने वाले मछुआरों तथा तालाब/जलाशयों में मत्स्य पालन/मत्स्याखेट करने वाले मत्स्य पालकों को जिला मद से मत्स्य पालन अधिकारी द्वारा परिचय पत्र प्रदाय किया जावेगा ।

2. **मछुआ सहकारी समितियों का गठन—**

2.1 **मत्स्य सहकारी समितियों का कार्यक्षेत्र/ प्रतिव्यक्ति जलक्षेत्र** स्थानीय /समीपवर्ती जलक्षेत्र आधारित समितियों का गठन किया जावेगा। सदस्य संख्या के अनुसार निर्धारित जलक्षेत्रके आधार पर समिति का कार्यक्षेत्र निर्धारित होगा । जलक्षेत्र के अनुसार सदस्य संख्या बढ़ानी होगी । कम जलक्षेत्र होने से उपयुक्तता के आधार पर मछली पालन विभाग के जिला अधिकारी की अनुशंसा पर समिति का पंजीयन हो सकेगा।

प्रति व्यक्ति जलक्षेत्र का निर्धारण ।

क्र. **जलक्षेत्र श्रेणी**

प्रति सदस्य जलक्षेत्र
(औसत) आवंटन दर

ग्रामीण तालाब

2.1.1 बाराह मासी

1 हैक्टेयर

2.1.2 मौसमी

2 हैक्टेयर

सिंचाई जलाशय

2.1.3 1000 हैक्टेयर औसत जलक्षेत्र तक

4 हैक्टेयर

2.1.4 1000 हैक्टेयर औसत जलक्षेत्र से

10 हैक्टेयर

अधिक के सभी जलाशय

2.2 यह सुनिश्चित किया जावे कि केवल वही व्यक्ति समिति के सदस्य बने जो वास्तव में मछुआरे हों तथा मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों ।

2.3 **सिंचाई परियोजना पर विस्थापित/प्रभावित मछुआरों की समितियों का गठन**

सिंचाई परियोजना के निर्माण के साथ ही उससे विस्थापित एवं प्रभावित होने वाले वंशानुगत मछुआ जाति को मत्स्य पालन /मत्स्य विकास के अधिकार में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावे ।

2.4 दो सीजन तक यदि कोई सदस्य पर्याप्त जलक्षेत्र उपलब्ध होने के बावजूद मत्स्याखेट नहीं करता है तो परीक्षण उपरांत उसकी सदस्यता समाप्त की जावे।

2.5 नवीन समितियां उन स्थानों पर ही गठित की जावें जहाँ जलक्षेत्र उपलब्ध है एवं पूर्व से कोई समिति गठित नहीं है । नवीन समितियों का गठन पूर्ण परीक्षण एवं जांच उपरांत सहकारिता विभाग एवं मछली पालन विभाग के जिला अधिकारियों के द्वारा पूरी सावधानी से किया जावे ।

2.6 किसी भी प्राथमिक सहकारी समिति के पंजीकरण के समय 33 प्रतिशत महिला सदस्य होंगी ।

- 2.7 बड़े जलाशयों हेतु जलक्षेत्र के आधार पर आवश्यकता एवं परिस्थिति अनुसार एक या एक से अधिक समितियों का गठन किया जा सकेगा।
- 2.8 प्रस्तावित समिति के कार्यक्षेत्र में पट्टे हेतु रिक्त जलक्षेत्र उपलब्ध हो तथा संबंधित स्वामित्व की पंचायत/नगरीय निकाय/अन्य विभाग/संस्थाओं द्वारा तालाब पट्टे पर उपलब्ध कराने की लिखित अनुमति उपरांत ही नवीन समिति के पंजीयन कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
- 2.9 मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ केवल उन्हीं मछुआ सहकारी समितियों के गठन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेगा जिन जलाशयों को म.प्र.मत्स्य महासंघ के कार्य हेतु सुरक्षित किया गया हो। शेष प्रकरणों में मत्स्योद्योग विभाग के जिला अधिकारी की अनुशंसा के उपरांत पंजीयन किया जावे।
- 2.10 मध्य प्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 9 में स्पष्ट प्रावधान है कि एक ही समिति के कार्यक्षेत्र में पंजीयन समान्यतः नहीं किया जावेगा यदि किया जाना आवश्यक है तो पहले पंजीकृत समिति को पर्याप्त प्रति व्यक्ति जलक्षेत्र के आधार पर सुना जावे।
- 2.11 गैर मछुआ या निष्क्रिय सदस्य जो मत्स्य पालन/मत्स्याखेट/मत्स्यबीज उत्पादन नहीं करता है ऐसे व्यक्तियों की समिति पंजीकृत न की जावे। "मछुआ" निर्धारित परिभाषा अनुसार होने के संबंध में मत्स्योद्योग विभाग से प्रमाणिकरण आवश्यक होगा।
- 2.12 जिले में नवीन रूप से पंजीकृत की जाने वाली मछुआ सहकारी समितियों में प्राथमिकता वंशानुगत मछुओं को दी जावे। तदुपरांत अनुसूचित जाति/जनजाति/ पिछड़ावर्ग/अन्य वर्ग की सहकारी समितियां बनाई जावें प्रस्तावित समिति में यदि वंशानुगत मछुआरे नहीं हैं तो इसका उल्लेख करते हुए मत्स्योद्योग विभाग के जिला अधिकारी प्रमाणित करें।
- 2.13 प्रदेश की समस्त मछुआ सहकारी समितियां जो किसी भी स्तर की पंचायतों के अंतर्गत मछली पालन से संबंधित व्यवसाय कर रही हों उन समितियों को किसी भी स्थिति में पट्टा राशि जमा करने में विलंब या उस पर लगाए गए ब्याज लेखा जोखा/आडिट रिकार्ड संधारित करने में कोई त्रुटि पाई जाने पर समितियों को समय पूर्व सूचित करने के पश्चात ही उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जावे।
- 2.14 त्रि-स्तरीय पंचायतों या मछली पालन विभाग द्वारा पट्टा निरस्त करने या कोई भी वैधानिक कार्यवाही करने के पूर्व संबंधित संस्था को सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर प्रदान किया जावे। यदि किसी प्रकरण में समिति को अपना पक्ष रखे जाने हेतु सूचना दिए बिना एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर पट्टा निरस्त कर दिया हो या अन्य को दे दिया हो तो ऐसे सभी प्रकरणों का परीक्षण कर नियम अनुसार कार्यवाही की जावे।
- 2.15 ऐसी समस्त मछुआ सहकारी समितियां जिनका पंजीयन शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमों के विरुद्ध विभागीय अनुशंसा के बगैर किया गया है उनके प्रकरणों का अधिकृत अधिकारी से परीक्षण करा लिया जावे एवं ऐसी समितियों का पंजीकरण समाप्त किया जावे साथ ही जलक्षेत्र के आवंटन में प्राथमिकता नहीं दी जावे।

- 2.16 मात्स्यिक नौका चालन, सिंघाड़ा उत्पादन, कमल डण्डी उत्पादन, विपणन हेतु मछुआ सहकारी समितियों का गठन किया जावे समिति द्वारा यदि रेत निकासी प्रस्तावित की गई हो तो रेत निकासी हेतु खनिज विभाग से सहमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

3. **जलक्षेत्र आवंटन-**

- 3.1 शासन की स्पष्ट नीति है कि मत्स्य पालन के लिए पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों को उनके कार्यक्षेत्र के ही तालाब/जलाशय का निर्देशानुसार आवंटन प्राथमिकता के आधार पर किया जावे।
- 3.2 प्रति मछुआ जलक्षेत्र का निर्धारण आर्थिक वायबिलिटी को ध्यान में रखते हुए किया गया है ताकि मछुए को न्यूनतम इतना जलक्षेत्र उपलब्ध हो सके कि वह मत्स्य पालन अपनाकर गरीबी रेखा के ऊपर जा सके।
- 3.3 ग्रामीण तालाबों का 1 हैक्टेयर जलक्षेत्र प्रति व्यक्ति को तथा सिंचाई जलाशय का न्यूनतम 4 हैक्टर जलक्षेत्र प्रति व्यक्ति को दिए जाने का प्रावधान होगा।
- 3.4 बारहमासी ग्रामीण तालाब 1 हैक्टेयर एवं मौसमी तालाब 2 हैक्टेयर (यदि एक तालाब 2.00 है० का हो तो दिया जावेगा दूसरा जलक्षेत्र शामिल नहीं माना जावेगा) प्रतिव्यक्ति
- 3.5 1000 हैक्टर से ऊपर के जलाशयों का आवंटन प्रति व्यक्ति 10 हैक्टर की दर से किया जावेगा।
- 3.6 एक समिति को एक से अधिक तालाब/जलाशय पट्टे पर उसी स्थिति में दिया जावे जब उसके पास जलक्षेत्र सदस्यों के अनुरूप कम हो, किन्तु यह जलक्षेत्र समिति के कार्यक्षेत्र में ही होना चाहिए।
- 3.7 किसी भी दशा में जलक्षेत्र की नीलामी नहीं की जावे।
- 3.8 किसी भी स्थिति में पंचायतों को उनके अधीनस्थ उपलब्ध जलक्षेत्र को जो समितियों को आवंटित किया गया है एवं उनके द्वारा पट्टा राशि जमा नहीं की गई है, तो विधिवत सूचना एवं उसका पक्ष सुने बिना पट्टा आवंटन के निरस्तीकरण एवं अन्य को आवंटन की कार्यवाही नहीं की जावे।
- 3.9 मछुआओं को रोजगार हेतु उनके क्षेत्र में पर्याप्त जलक्षेत्र उपलब्ध न होने की स्थिति में वैकल्पिक रोजगार देने हेतु प्रोत्साहित किया जावेगा।
4. **मत्स्य सहकारी समितियों के फर्जी सदस्यों का निष्कासन-**

प्रदेश की ऐसी मत्स्य सहकारी समितियों के फर्जी सदस्यों की पहचान कर समिति से उनकी सदस्यता समाप्त की जावे। नवगठित मत्स्य सहकारी समितियों में नयी सदस्यता देने के पूर्व मछुआओं की पहचान मत्स्य विभाग के माध्यम से कराई जावे। मछुआओं की पहचान हेतु एक प्रक्रिया/कार्यप्रणाली निर्धारित की जावे, इस कार्य हेतु एक समिति का जनपद/जिला स्तर पर गठित होगी, जिसमें जिला मत्स्य पालन अधिकारी, नामांकित नायब तहसीलदार संबंधित जनपद क्षेत्र का सहकारिता निरीक्षक तथा प्रत्येक जनपद क्षेत्र के मछुआ जाति के दो वरिष्ठ व्यक्ति जिनका नामांकन कलेक्टर के द्वारा किया गया हो, को रखा जावेगा। फर्जी सदस्यों के निष्कासन की कार्यवाही का कडाई से पालन किया जावेगा।

00000000

अनुबंध-पत्र

पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत 1000 हेक्टर औसत, जलक्षेत्र तक के जलाशय पट्टे पर देने का अनुबंध

ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/जिला पंचायत..... जिला..... जिन्हें आगे प्रथम पक्षकार के नाम से संबोधित किया गया है तथा मछुआ सहकारी समिति, समूह/मत्स्य कृषक..... जिला..... जिन्हें द्वितीय पक्षकार के नाम से संबोधित किया गया है के मध्य तालाब/जलाशय के पट्टे का अनुबंध ।

- 1- यह अनुबंध आज दिनांक को प्रथम पक्षकार ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/जिला पंचायत..... जिला..... तथा द्वितीय पक्षकार मछुआ सहकारी समिति/समूह/मत्स्य कृषक..... जिला..... के मध्य उनकी स्वेच्छानुसार निम्न रूपेण संपन्न किया गया है ।
- 2- यह कि द्वितीय पक्षकार मछुआ सहकारी समिति/समूह/मत्स्य कृषक..... जिला..... द्वारा अनुरोध किए जाने व उसके द्वारा लगत वहन किये जाने के प्रस्ताव पर द्वितीय पक्षकार को तालाब/जलाशय..... खसरा नं..... रकबा..... हेक्टर..... को मछली पकड़ने एवं मछलीपालन के लिए आज दिनांक से दिनांक तक की अवधि के लिए पट्टा दिया गया है ।
- 3- उक्त पट्टे के लिए प्रारम्भिक वार्षिक पट्टा राशि रूपये शब्दों में होगी ।
- 4- द्वितीय पक्षकार को उक्त तालाब/जलाशय के लिये प्रारम्भिक वार्षिक पट्टा राशि 10 वर्षों तक प्रतिवर्ष प्रथम पक्षकार को देय होगी ।
5. पट्टे पर दिए जाने वाले तालाब/जलाशय की प्रथम वर्ष की पट्टा राशि पट्टा धारक द्वारा अनुबंध निष्पादन के पूर्व संबंधित पंचायत कोष में जमा करनी होगी । आगामी वर्षों में पट्टा राशि 1 अप्रैल से 30 जून तक की अवधि में द्वितीय पक्षकार को संबंधित पंचायत के कोष में जमा करनी होगी ।
6. पट्टा राशि अधिकतम तीन समान किशतों में चार माह के अंतराल में प्राप्त की जाना चाहिए। यदि समिति/समूह/व्यक्ति समय पर पट्टा राशि भुगतान नहीं कर पाती है तो, प्रकरण पर विचार कर बकाया राशि शीघ्र जमा करने की स्थिति में बंद ऋतु को छोड़कर दो माह की छूट देकर दण्ड-ब्याज 2 प्रतिशत वार्षिक दर से लगाया जावेगा ।
7. पट्टे की अवधि समाप्त होने पर या अवधि के पहले ही उसे शर्तों के अधीन समाप्त किए जाने पर द्वितीय पक्षकार द्वारा उस तालाब का कब्जा प्रथम पक्षकार को उसी स्थिति में दिया जावेगा जैसा कि उसने प्राप्त किया था तथा उस समय यदि कोई मछली होगी तो उसके लिये द्वितीय पक्षकार किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिए हकदार नहीं होगा ।
8. यह कि द्वितीय पक्षकार तालाब/जलाशय में मत्स्य विकास हेतु किसी वाणिज्यिक बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिये पट्टा रहन/बंधक रखने का हकदार होगा ।
9. द्वितीय पक्षकार को मध्यप्रदेश मत्स्योद्योग अधिनियम 1948, एवं मध्यप्रदेश मत्स्य क्षेत्र (संशोधन अधिनियम 1981), म.प्र. नदीय मत्स्योद्योग नियम 1972, एवं उसके अंतर्गत बनाये गए नियमों तथा समय-समय पर शासन द्वारा अनुमोदित पट्टा शर्तों में किए गए संशोधनों का पालन करना होगा ।
10. द्वितीय पक्षकार द्वारा पट्टे पर नियमानुसार इस अनुबंध का पंजीयन कराना होगा ।

11. पंचायतों द्वारा मछली पालन के लिये पट्टे पर दिये गए जलाशयों से पट्टाधार सुचारू रूप से मछली पालन का कार्य कर सकें इसलिए जलाशय में आवश्यक जलस्तर बनाए रखना आवश्यक है अपरिहार्य कारणों से तालाब/जलाशय से पानी निकाले जाने की स्थिति में पट्टाधारक को 7 दिवस में सूचना देना होगा ।
12. सिंचाई विभाग के जलाशयों के लिए द्वितीय पक्षकार को सिंचाई विभाग के समस्त नियम एवं अधिनियमों का भी पालन करना होगा जो तत्समय लागू होंगे ।
13. ग्रामीण तालाब/सिंचाई जलाशयों में निर्धारित माप दण्ड के अनुसार पट्टा धारक को प्रतिवर्ष मत्स्यबीज संवयन स्वयं के व्यय से मत्स्योद्योग विभाग के अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष/जानकारी में करना अनिवार्य होगा ।
14. पट्टा धारक द्वारा आवंटित तालाब/जलाशय से प्रति हैक्टरकिलो/प्रतिवर्ष न्यूनतम मत्स्योत्पादन प्राप्त करना होगा ।
15. द्वितीय पक्षकार जलाशय में संचित मछलीबीज तालाब से उत्पादित मछली, विक्रय की गई मछली एवं सदस्यों को वितरित लाभ का सम्पूर्ण लेखा-जोखा निर्धारित पंजी में नियमित रूप से रखेगा तथा उसे प्रथम पक्षकार एवं मछली पालन विभाग के अधिकारियों को उनके निरीक्षण के समय दिखाने के लिए बाध्य होगा । द्वितीय पक्षकार प्रतिमाह निर्धारित प्रपत्र में तालाब से मत्स्यपालन एवं उत्पादन की जानकारी प्रथम पक्षकार को देगा ।
16. द्वितीय पक्षकार अथवा उराका प्रतिनिधि जलाशय में विषैली वस्तु विस्फोटक तथा किसी अन्य प्रदूषणकारक वस्तु का उपयोग नहीं करेगा ।
17. द्वितीय पक्षकार तालाब के धार्मिक घाट, सार्वजनिक तथा मत्स्याखेट हेतु वर्जित स्थलों की परिधि में मत्स्याखेट नहीं करेगा ।
18. द्वितीय पक्षकार को तालाब का पट्टा अन्य व्यक्ति अथवा संस्था को हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं होगा यदि ऐसा किया जाता है तो प्रथम पक्षकार द्वारा जलाशय का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा ।
19. तालाब/जलाशय में मत्स्य पालन का कार्य पट्टा धारक द्वारा ही कराया जावेगा; यदि यह कार्य पट्टाधारक द्वारा अन्य व्यक्ति से अनुबंध संपादित कर कराया जाता है तो उस तालाब/जलाशय का पट्टा निरस्त किया जावेगा ।
20. पट्टा धारक समिति/समूह/व्यक्ति अपने सदस्यों से ही मत्स्याखेट कार्य करावेगी अपरिहार्य स्थिति में समीपवर्ती जिला/संभाग के मछुआरों से ही सहयोग प्राप्त किया जा सकता है । किसी भी दशा में राज्य के बाहर के मछुआरों को सम्मिलित नहीं किया जावेगा ।
21. द्वितीय पक्षकार को तालाब/जलाशय पट्टे पर लेने के उपरांत उसमें मत्स्यबीज प्रदेश के विभाग/मत्स्य महासंघ/निजी क्षेत्र की मत्स्यबीज इकाईयों से ही क्रय कर संचित करेगा तथा मत्स्योद्योग विभाग/मत्स्य कृषक विकास अभिकरणों के अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर क्रय की पावती प्रस्तुत करना होगी ।
22. द्वितीय पक्षकार विभाग को मांगे जाने पर मत्स्य प्रजनक उपलब्ध कराएगा ।
23. द्वितीय पक्षकार तालाब से उत्पादित मछली का कम से कम 10 प्रतिशत भाग स्थानीय उपभोक्ताओं के लिए प्रचलित दर पर उपलब्ध कराएगा ।
24. यदि हितग्राही ने पट्टे पर लिए गए तालाब के विपक्ष में बैंक से ऋण लिया है एवं तालाब बैंक के पास बंधक (मॉर्डगेज) है एवं ऐसे तालाबों में पट्टा धारक मछली पालन विभाग के जिला अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही मत्स्याखेट कर सकेंगे । विभागीय अधिकारी का दायित्व होगा कि वह मत्स्याखेट की सूचना संबंधित बैंक को दें जिससे कि मत्स्याखेट के समय बैंक के प्रतिनिधि उपस्थित रहकर अपनी ऋण राशि की वसूली कर

सकें । पंचायत अनुबंध शर्तों के उल्लंघन की दशा में संबंधित बैंकों को पट्टा निरस्ती के पूर्व सूचित करेंगी ताकि संबंधित बैंक पट्टा निरस्ती के पूर्व पट्टा धारक से बैंक ऋण की वसूली कर सकें ।

25. पट्टा धारक एवं संबंधित पंचायत के मध्य इस अनुबंध के या इसके किसी अंश के या शर्तों के क्रियान्वयन के संबंध में कोई विवाद होने पर पंचायत राज अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम तथा उभयपक्षों को मान्य होगा ।
26. इस संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेश द्वितीय पक्षकार को मान्य होगा ।

आज दिनांक _____ को निम्न साक्ष्यगणों की उपस्थिति में इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए ।

द्वितीय पक्षकार

साक्षीगण का नाम तथा पता :

1.
.....
2.
.....

प्रथम पक्षकार
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत/जनपद पंचायत
सचिव, ग्राम पंचायत

प्रपत्र

पट्टा धारक द्वारा संधारित की जाने वाली पंजी

- (क) 1. पट्टाधारक का नाम
2. जलाशय का नाम
3. औसत जलक्षेत्र (हेक्टर में).....
4. पट्टा आदेश क्र./दिनांक.....
5. पट्टा अवधि

(ख)

क्र.	उपयोग की तिथि	मत्स्यबीज (हजार मानक) प्रजातिवार/आकार	रसायनिक खाद (मात्रा कि.ग्रा.)	गोबर खाद (मात्रा कि.ग्रा.)	पूरक आहार खली/कचकी (मात्रा कि.ग्रा.)	माइक्रोन्यूट्रिएण्ट (मात्रा कि.ग्रा.)	अन्य खाद (मात्रा कि.ग्रा.)
1	2	3	4	5	6	7	8

(ग) मत्स्योत्पादन एवं आय:

क्र.	मत्स्यखेट की दिनांक	जातिवार निकाली गई मछली का सामान्य विवरण						योग		समिति सदस्य द्वारा/अन्य समिति/टेकेदार	स्थानीय बाजार में विक्रय की गई मछली का वजन
		मेजर कार्प		लो.मेजर		लो.माइनर		संख्या	वजन		
		संख्या	वजन	संख्या	वजन	संख्या	वजन	संख्या	वजन		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

बाहर विक्रय हेतु भेजी गई मछली का वजन	योग (12+13)	मछली विक्रय से कुल प्राप्त आय	मत्स्यखेट में संलग्न व्यक्तियों की संख्या	तिथिवार प्रति व्यक्ति द्वारा निकाली गई मछली की मात्रा (कि.ग्राम)
13	14	15	16	17

प्रति व्यक्ति को दिया गया पारिश्रमिक का भुगतान (रु.)	कुल पारिश्रमिक का भुगतान	कुल व्यय (मत्स्यबीज मूल्य, खाद, खुराक एवं रख-रखाव)	योग (19+20)	लाभ (15-21)
18	19	20	21	22

परिशिष्ट-3

मासिक प्रगति प्रतिवेदन

तालाब का नाम	जलक्षेत्र हेक्टर में	वार्षिक पट्टा राशि	संचित मत्स्यबीज की संख्या	निकाली गई मछली की मात्रा कि.ग्रा.	विक्रय की गई मछली की मात्रा (कि.ग्रा.)	मछली विक्रय से प्राप्त आय (रु.में)	कुल कार्य दिवस	कार्यरत व्यक्ति की संख्या	प्रतिव्यक्ति आय (रु. में)	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

सही / -
पट्टा धारक का नाम

मत्स्यबीज उत्पादन, प्रजनन, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण इत्यादि आवश्यकताओं के लिए मत्स्योद्योग विभाग के नियंत्रण में रखे जाने वाले जलाशय (नवीन नीति के परिपेक्ष्य में)

क्र	जिला	जलाशय का नाम	औसत जलक्षेत्र हैक्टर में
1	रायसेन	दाहोद	460
2	सीहोर	जमुनिथा	186
3	सीहोर	काकरखेड़ा	100
4	विदिशा	नरैन	357
5	बैतूल	चन्दौरा	214
6	बैतूल	सारणी	900
7	खरगोन	साटक	261
8	खण्डवा	भगवंत सागर (सुक्ता)	768
9	इन्दौर	यशवंत सागर	396
10	इन्दौर	बिलावली	68
11	झाबुआ	गोद सागर	82
12	उज्जैन	अरनिया बहादुर	471
13	रतलाम	धोलावड़	365
14	रतलाम	शिवगढ़	42
15	मंदसौर	मोरबन	180
16	शाजापुर	चीलर	623
17	देवास	चन्द्रकेशर	308
18	देवास	दौलतपुर	46
19	ग्वालियर	पहसारी	490
20	दतिया	रामसागर	140
21	दतिया	लाला का ताल	11
22	शिवपुरी	पारोच	230
23	शिवपुरी	नागदा	202
24	गुना	गोपालपुरा	30
25	सागर	बीला	597
26	सागर	मंसूरवारी	98
27	दमोह	माला	293
28	दमोह	गढ़ाघाट	118
29	टीकमगढ़	ग्वालसागर	206
30	श्योपुर	आबदा	402
31	छतरपुर	बेनीसागर (बेनीगंज)	380
32	छतरपुर	बूढ़ा सागर	245
33	पन्ना	देवेन्द्र नगर	143
34	रीवा	गोविन्दगढ़	285
35	रीवा	जरमोहरा	265
36	सतना	नकतरा	45

क्र	जिला	जलाशय का नाम	औसत जलक्षेत्र हैक्टर में
37	उमरिया	उमरार	208
38	शहडोल	बागन	15
39	कटनी	बहोरीबंद	650
40	मण्डला	थावर	1297
41	मण्डला	जन्तीपुर	29
42	सिवनी	हजारिया	7
43	बालाघाट	पाथरी	33
44	छिंदवाडा	कन्हारगांव	346

मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ (सहकारी) मर्यादित भोपाल

क्र	जिला	जलाशय का नाम	औसत जलक्षेत्र हैक्टर में
1	भोपाल	केरवा	347
2	रायसेन	बारना	4791
3	रायसेन	हलाली	4795
4	होशंगाबाद	तवा	12145
5	सीहोर	कोलार	1928
6	मंदसौर	गांधीसागर	41317
7	जबलपुर	बरगी	16649
8	सिवनी	भीमगढ	2328
9	खण्डवा	इंदिरासागर	49855
10	शहडोल	बाणसागर	26511
11	खण्डवा	ओंकारेश्वर	8330

जिला पंचायत द्वारा मछली पालन के लिये मछुआ सहकारी समितियों को मध्य प्रदेश मछुआ सहकारी समितियां (ऋण/अनुदान) नियम 1972 के अधीन ऋण/अनुदान देने के अधिकार :-

- 1- प्रयोजन :
वे प्रयोजन जिसके लिये ऋण या अनुदान अथवा दोनों स्वीकृत किये जा सकेंगे ।
 - 1.1 मछली पकड़ने के उपकरण, नाव, जाल, कांटा आदि ।
 - 1.2 नौका तैयार करने की सामग्री और मछली लाने ले जाने के लिये वाहन ।
 - 1.3 अन्य प्रयोजन ।
 - 1.3.1 मत्स्यबीजों की खरीद एवं संचयन के लिये ।
 - 1.3.2 ताल और तालाब की मरम्मत के लिये ।
 - 1.3.3 ताल और तालाब की पट्टे की रकम की अदायगी करने के लिये ।
 - 1.3.4 प्रबंध पर व्यय करने के लिये
- 2- स्वीकृति के लिये अधिकार एवं सीमा
 - 2.1 जिला पंचायतों को उपरोक्त प्रयोजन के लिये मछुआ सहकारी समिति को नियम अन्तर्गत ऋण/अनुदान स्वीकृत करने के लिये जिला पंचायत को इस कार्य के लिये प्रदाय किये गये बजट आवंटन की सीमा में ऋण अथवा अनुदान या दोनों स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा ।
 - 2.2 साधारणतः किराी समिति को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के समय उस पर विद्यमान समस्त ऋण भारों का मूल्य घटाने के पश्चात् समिति की हिस्सा पूँजी सहित कुल आस्तियों के मूल्य के पांच गुना तक तथा विशेष परिस्थितियों में कुल आस्तियों के आठ गुना तक ऋण स्वीकृत किया जा सकेगा ।
 - 2.3 मछुआ सहकारी समिति को स्वीकृत किये जाने वाले ऋण की वापसी के संबंध में पूर्ण समाधान होने पर स्वीकृत किया जावेगा ।
 - 2.4 स्वीकृत किये जाने वाले ऋण पर शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित ब्याज दर अनुसार ब्याज देय होगा ।
 - 2.5 मछुआ सहकारी समितियों को स्वीकृत किये गये ऋण प्रतिभूति किये जावेंगे ।
 - 2.6 मछुआ सहकारी समिति स्वीकृत ऋण, ऋण स्वीकृति आदेश में निर्धारित की गई अवधि एवं किश्तों में ब्याज सहित वापस करेगी, किन्तु यह अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी ।
 - 2.7 अनुदान स्वीकृत करने की सीमा तथा दर :
 - 2.7.1 नौका तथा नौका तैयार उपकरण की लागत का 25 प्रतिशत करने की सामग्री की खरीद के लिये
 - 2.7.2 नायलोन 33,1/3 प्रतिशत या 15.00 रुपये प्रति किलो ग्राम जो भी कम हो ।
 - 2.7.3 सूती डोरी 33,1/3 प्रतिशत या 3.00 रुपये प्रति किलो ग्राम जो भी कम हो ।
 - 2.7.4 सन की रस्सी 33,1/3 प्रतिशत या 15.00 रुपये प्रति किलो ग्राम जो भी कम हो ।

- 2.8 अन्य प्रयोजनों के लिये :
- 2.8.1 मत्स्यबीज खरीद और संघयन के लिये केवल मत्स्यबीज की खरीद के मूल्य का 50 प्रतिशत
- 2.8.2 पट्टे की रकम की देनगी करने तथा ताल और तालाब की मरम्मत के लिये मरम्मत लागत का 50 प्रतिशत
- 2.8.3 व्यवस्था पर व्यय व्यवस्था के व्यय पर 50 प्रतिशत
- 2.9 मछुआ सहकारी समिति को एक अप्रैल से आगामी 31 मार्च के मध्य में एक ही वित्तीय वर्ष में अधिकृत विक्रेताओं से खरीदे गये मछली पकड़ने के उपकरणों पर नियमानुसार अनुदान स्वीकृत किया जावेगा ।
- 2.10 इन नियमों के अन्तर्गत, विभागीय अधिकारियों द्वारा ऋण/अनुदान स्वीकृत करने के अधिकारों का प्रयोग नहीं किया जावेगा ।
- 3 आर्थिक सहायता के लिये आवेदन:
- 3.1 ऋण अथवा अनुदान या दोनों प्राप्त करने की इच्छुक जिले की मछुआ सहकारी समितियाँ इन निर्देशों के साथ संलग्न निर्धारित आवेदन पत्र जिला पंचायत को प्रस्तुत करेंगी ।
- 3.2 जिला पंचायत, मछुआ समिति से ऋण/अनुदान स्वीकृत करने के लिये प्राप्त आवेदन का परीक्षण करेंगी । प्राप्त आवेदन सहायक पंजीयक, सहकारी समितियों को भेजकर, समिति के गठन, कार्य तथा वित्तीय स्थिति के संबंध में जांच करावेगी और उनकी अनुशंसा प्राप्त करेगी । सहायक पंजीयक से अनुशंसा प्राप्त करने के उपरान्त मछुआ सहकारी समिति को ऋण/अनुदान स्वीकृत करने की पात्रता के अनुसार जिला पंचायत बजट उपलब्धता की स्थिति के अनुसार स्वीकृत करेंगी ।
- 3.3 मछुआ सहकारी समिति को ऋण/अनुदान संलग्न प्रारूप में स्वीकृत किये जावेंगे ।
- 3.4 मछुआ सहकारी समिति स्वीकृत किये गये ऋण का वितरण एक किश्त में किया जावेगा ।
- 4 ऋण की वसूली
- 4.1 मछुआ सहकारी समिति को जिस कार्य के लिये ऋण मंजूर किया गया है, उसके लिये उपयोग न कर अन्य कार्य पर व्यय करने पर ऋण की पूरी राशि उस पर देय ब्याज सहित तत्काल वसूली योग्य हो जावेगी ।
- 4.2 मछुआ समिति को दिये गये ऋण की किश्त ब्याज सहित समय पर भुगतान करने में चूक करने पर देय शेष मूलधन और ब्याज की राशि तत्काल देय हो जायेगी । परन्तु ऋण की दी गई रकम वसूल करने के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत देय सम्पूर्ण राशि वसूल करने के बजाय उस किश्त पर जिसकी समय पर अदायगी नहीं गई, चूक की अवधि के लिये उचित वार्षिक ब्याज दर से प्रभारित कर सकेंगे ।
- 4.3 बकाया ऋण वसूली ।
ऋण की बकाया राशि वसूली भू-राजस्व की बकाया की रीति अनुसार की जावेगी ।

- 4.4 मछुआ सहकारी समिति को जिस बजट शीर्ष से ऋण स्वीकृत किया गया है उसी बजट शीर्ष में ऋण की वापसी की किश्त जमा करेगी तथा ऋण पर देय ब्याज आय शीर्ष-0049 राज्य प्राप्तियां-04- राज्य क्षेत्रों की सरकारों से ब्याज प्राप्तियां 195- सहकारी समितियों से ब्याज प्राप्ति में जमा होगा ।
- 5 समिति को इन नियमों के अधीन कोई ऋण या अनुदान स्वीकृत/भुगतान किया गया हो उसके उपयोग समिति के कार्य संचालन के संबंध का प्रतिवेदन या जानकारी प्रस्तुत करना होगा ।
- 6 समिति स्वीकृत किये गये ऋण के फलस्वरूप जो उपकरण एवं सम्पत्ति प्रतिभूति स्वरूप बंधक रखी गई है, को अच्छी स्थिति में बनाये रखेगी ।
- 7 ऐसी समिति, जिला पंचायत द्वारा अधिकृत प्राधिकारी या व्यक्ति को परिसरों मछली पकड़ने के उपकरणों, नगद सिलक तथा समिति के लेखाओं का निरीक्षण करने की सुविधा देने के लिये बाध्य होगी ।
- 8 शास्ति पेनाल्टी (इन नियमों में से किसी नियम का अथवा ऋण/अनुदान स्वीकृति की शर्त को भंग करने की दशा में नियम में निहित प्रावधान अनुसार समिति पर शास्ति लगाई जावेगी ।
- 9 ऋण तथा अनुदान स्वीकृत करने के अभिलेख और पंजी रखना ।
मछुआ समिति को ऋण तथा अनुदान स्वीकृत करने वाला अधिकारी, समिति को ऋण / अनुदान स्वीकृत करने संबंधी पूर्ण अभिलेख तथा पंजी संधारित कर उसमें विवरण दर्ज करेगा ।
- 10 **विवाद का निपटारा :**
मछुआ सहकारी समिति उधार सहायकी नियम की कंडिका 22 अनुसार विवाद निपटाये जावेंगे ।

प्रारूप

उधार /सहायकी की मंजूरी के लिए आवेदन पत्र

1. मछुआ सहकारी समिति का पूरा नाम (नाम दिया जाये, जो समिति की उपविधियों में उल्लिखित है और रजिस्ट्रीकृत है) ।
2. संबंधित तहसील और जिले सहित समिति का रजिस्ट्रीकृत पता ।
3. तारीख सहित रजिस्ट्रीकरण क्रमांक
4. समिति की वर्तमान गतिविधियां
5. पट्टे की रकम तथा पट्टे की कालावधि तथा ब्यौरा सहित उन तालाबों के नाम, जिनमें मछली पकड़ने के अधिकार खरीद लिए हों ।
6. सदस्यों की संख्या
7. समिति का पूर्ववर्ती वर्ष का संतुलन पत्र तथा हानि-लाभ लेखा विवरण ।
8. समिति की गतिविधियों के विस्तार की भावी योजना, यदि कोई हो ।
9. उधार या सहायकी रकम, जिसके लिए आवेदन किया गया है ।
10. प्रयोजन जिसके लिये उधार या सहायकी अपेक्षित है ।
11. उन किश्तों की संख्या, जिनमें ब्याज सहित उधार वसूल किया जा सकेगा ।
12. यदि समिति ने किसी अन्य स्रोत से उधार प्राप्त किया हो, तो निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ब्यौरे दीजिए -
 - उधार किससे लिया गया है,
 - उधार लेने की तारीख,
 - वह प्रयोजन या वे प्रयोजन जिनके लिए उधार लिया गया है,
 - उधार के लिए दी गई प्रतिभूति,
 - उधार की रकम,
 - उन किश्तों की रकम, जिनका प्रति संदाय किया जा चुका है,
 - उधार की वह शेष रकम जिसका भुगतान किया जाना है ।
13. उधार और सहायकी के लिए आवेदन-पत्र के समर्थन में प्रबंध समिति के संकल्प की सत्य प्रतिलिपि तथा उधार या सहायकी की मंजूरी, को शासित करने वाले नियमों की स्वीकृति भी संलग्न करें ।

(घोषणा)

हम..... सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करते हैं कि हमने मध्य प्रदेश मछुआ सहकारी समितियों (उधार तथा सहायकी) नियम, 1972 पढ़ लिए हैं और हम एतद्वारा ऊपर उल्लेखित समिति के लिये और उसकी ओर से उक्त समिति को उक्त नियमों के उपबंधों के आबद्ध करने के लिए सहमत हैं और एतद्वारा यह निष्ठापूर्वक अभिकथित करते हैं और यह घोषणा करते हैं कि आवेदित उधार/सहायकी प्राप्त करने के लिए ऊपर किए गए कथन तथा दी गई जानकारी, हमारे ज्ञान तथा विश्वास से सत्य है ।

साक्षियों के हस्ताक्षर

1.
2.

.....
समिति के अध्यक्ष के हस्ताक्षर.....
समिति के सचिव के हस्ताक्षर

क्रमांक /

दिनांक.....

:: आदेश ::

मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्यादित को आर्थिक सहायता

1. मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्यादित.....विकास खण्ड.....
जिला.....पंजीयन क्रमांक..... दिनांक..... को
मध्य प्रदेश मछुआ सहकारी समितियां (उधार तथा सहायकी) नियम,
1972 के अंतर्गत वर्ष में प्रयोजन का नाम.....हेतु
रूपये.....(अंकन.....)
केवल संलग्न शर्तों के तहत बजट उपलब्ध होने की दशा में ऋण/
अनुदान स्वीकृत किया जाता है ।
2. उक्त व्यय वर्ष में बजट मांग संख्या-80-मछली पालन
मुख्य शीर्ष 6405 मछली पालन के लिये कर्जे (आयोजना) 195-
मत्स्यबीज सहकारी समितियों को ऋण 0101 राज्य आयोजना (सामान्य)
9977 मत्स्यबीज सहकारी समितियों को कर्जे का व्यय का विस्तृत शीर्ष-
97-ऋण तथा अग्रिम अंतर्गत विकलनीय होगा ।
उक्त व्यय वर्ष में बजट मांग संख्या-80-मछली पालन मुख्य
शीर्ष-2405 मीन उद्योग लघु शीर्ष (120)-मछली पालन सहकारी
समितियां-0101-राज्य आयोजना सामान्य परियोजना क्रमांक 4427
-मछुआ सहकारी समितियों को अनुदान व्यय का विस्तृत शीर्ष-14
पारितोषिक पुरस्कार, सम्मान अंतर्गत विकलनीय होगा ।
3. समिति को ऋण राशि का वितरण करने के पूर्व समिति के बंधक विलेख
निष्पादित करावें ।
4. समिति को दिए गए ऋण/अनुदान के उपयोग करने संबंधी प्रमाण-पत्र
समिति से प्राप्त कर भेजा जावे ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत.....

- संलग्न-1. ऋण/अनुदान मंजूरी उपयोगिता हेतु प्रारूप
2. मूलतः प्रस्ताव प्रकरण

पृ0क्र0 /
प्रतिलिपि -

/म/

भोपाल, दिनांक.....

1. अध्यक्ष.....मछुआ सहकारी समिति..... की ओर सूचनार्थ
2. सहायक संचालक मत्स्योद्योग, जिला म.प्र.
3. कोषालय अधिकारी, जिला.....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्यवाही हेतु ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत.....नोट - जिस बजट शीर्ष में बजट प्रावधान उपलब्ध हो, वही बजट शीर्ष स्वीकृति
पत्र में अंकित किया जावेगा ।

प्रमाणित किया जाता है कि.....मछुआ सहकारी समिति
मर्यादित..... पंजीयन क्रमांक.....दिनांक.....मुख्य कार्यपालन
अधिकारी जिला पंचायत.....से उनके पत्र क्रमांक.....दिनांक.....से
प्राप्त ऋण/अनुदान राशि रूपये.....(अंकन.....) केवल का उपयोग
समिति द्वारा (प्रयोजन का नाम.....) के लिए किया गया ।

प्रबंधक,
सहकारी समिति

मछुआ सहकारी समिति का ऋण/अनुदान मंजूरी प्रारूप

1. मंजूर करने वाला प्राधिकारी
 2. मंजूरी पत्र क्रमांक दिनांक
 3. विभाग प्रमुख जिसकी हिसाब पुस्तिका में ऋण/अनुदान समायोजित किया जाता है ।
 4. ऋण/अनुदान जिसको मंजूर किया गया समिति का नाम/पंजीयन क्र. सहित
 5. मंजूर की गई राशि रकम अंकों में तथा शब्दों में
 6. मंजूरी कब तक वैध है
 7. ऋण/अनुदान का प्रयोजन
 8. रकम नगद दी जाना या समायोजित की जाना है
 9. लेखा का शीर्ष जिसमें मंजूरी शुदा रकम विकलनीय है ।
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
क्रमांक.....दिनांक.....
संचालक मत्स्योद्योग मध्य प्रदेश भोपाल
- उक्त व्यय वर्ष में बजट
मांग संख्या-80-मछली पालन मुख्य
शीर्ष 6405 मछली पालन के लिये कर्जे
(आयोजना) 195- मत्स्यबीज सहकारी
समितियों को ऋण 0101 राज्य
आयोजना (सामान्य) 9977 मत्स्यबीज
सहकारी समितियों को कर्जे का व्यय
का विस्तृत शीर्ष- 97-ऋण तथा अग्रिम
अंतर्गत विकलनीय होगा ।
10. ऋण स्वीकृति की दशा में ऋण वापसी की अवधि (जो दो वर्ष से अधिक न होगी)
 - अ. दिनांक और वर्ष जिसमें ऋण वापसी अदायगी शुरू होना है ।
 - ब. ऋण वापसी की अदायगी की तारीख तथा किश्त का विवरण
 - स. ऋण पर ब्याज दर (साधारण तथा दंडित ब्याज दर सहित)
 - द. ऋण वापसी की अदायगी हेतु स्थान अवधि यदि कोई हो तो ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत.....

योजना का नाम	:	मत्स्य पालन प्रसार (राज्य आयोजना)			
उद्देश्य	:	अनुसूचित जाति/जनजाति के मछुआरों को मछली पालन के लिए अनुदान			
योजना का स्वरूप एवं आच्छादन	:	आच्छादन-संपूर्ण मध्य प्रदेश स्वरूप- ऐसे अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के मत्स्य पालक जो ग्राम पंचायतों के अथवा अन्य शासकीय तालाब पट्टे पर लेकर मछली पालन करें, को निम्नानुसार अनुदान की पात्रता है			
		योजनान्तर्गत पट्टा अवधि में सहायकी (अनुदान) का प्रतिशत			
कार्य जिसके लिए अनुदान की पात्रता होगी		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष से पांचवें वर्ष तक	छटवें वर्ष से शेष पट्टा- अवधि तक	अनुदान की अधिकतम सीमा (रूपयों में)
तालाब की पट्टा राशि भुगतान हेतु	100%	50%	25%		8500/-
तालाब में मछली बीज संवर्धन हेतु	100%	50%	25%		1300/-
नाव, जाल क्रय हेतु	100%	100%			2500/-
मत्स्य खाद्य, उर्वक, खाद, दवा आदि	100%	50%	25%		2700/-
				योग:	15000/-

योजना में मत्स्य पालक को अनुदान का नगद भुगतान न दिया जाकर वस्तु-विशेष के रूप में दिया जाता है।

हितग्राही की अर्हताएं

: हितग्राही को अनुसूचित जनजाति अथवा अनुसूचित जाति का होने तथा तालाब पट्टे पर लेकर मछली पालन करने की दशा में अनुदान देय है।

हितग्राही चयन प्रक्रिया

: ऐसे सभी अनुसूचित जनजाति/जाति के मछली पालन में संलग्न व्यक्ति निर्धारित प्रारूप में विभाग को अनुदान के लिए आवेदन करेंगे।

प्रारूप में विभाग को अनुदान तभी देय होगा जबकि उसके द्वारा इस कार्य के लिए किसी अन्य योजना में कोई सहायता प्राप्त न की हो।

योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया

: विभाग मत्स्य पालकों से निर्धारित प्रारूप पर आर्थिक सहायता के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, अनुदान की पात्रता के विषय में छानबीन कर प्रस्ताव अपनी अनुशांसा के साथ जिला पंचायत को अग्रेषित करेंगी। जिस कार्य के लिए अनुदान की पात्रता होगी उस के अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत से स्वीकृति प्राप्त कर जिला पंचायत अनुदान का भुगतान संबंधित संस्था जिससे कि सामग्री क्रय की गई है, को कर मत्स्य पालक को वस्तु के रूप में सहायता प्रदान करेगा।

परिशिष्ट-11

योजना का नाम	:	सिंचाई जलाशयों में मत्स्योद्योग का विकास
उद्देश्य	:	जलाशयों में मत्स्योत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाना
योजना का स्वरूप एवं आच्छादन	:	संपूर्ण मध्य प्रदेश पंचायतों द्वारा 1000 हैक्टर औसत जलक्षेत्र तक के जलाशयों को शासन नीति एवं निर्धारित प्राथमिकता अनुसार मछली पालन के लिए लम्बी अवधि के लिए पट्टे पर देना । मध्य प्रदेश मत्स्य महारांघ द्वारा 2000 हैक्टर औसत जलक्षेत्र से अधिक के जलाशयों में मत्स्योद्योग विकास एवं, प्रबंधन का कार्य करना ।
योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया	:	पंचायतों द्वारा क्षेत्र में मछली पालन हेतु जलाशय पट्टे पर देने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार कर आवेदन प्राप्त करना । शासन नीति निर्देशानुसार आवेदनों का परीक्षण मत्स्य विभाग द्वारा करवाकर उपयुक्त हितग्राही/समूह/व्यक्ति को पट्टे पर देना।

परिशिष्ट-12

योजना का नाम	:	मछुआ सहकारिता
उद्देश्य	:	पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों को मछली पालन हेतु आर्थिक सहायता
योजना का स्वरूप एवं आच्छादन	:	मध्यप्रदेश मछुआ सहकारी समितियां ऋण/अनुदान नियम 1972 अंतर्गत प्रदेश में सभी वर्ग की पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों को मछली पालन हेतु उपकरण एवं अन्य प्रयोजनों यथा, तालाब का पट्टा, मत्स्य बीज क्रय, नाव, जाल क्रय इत्यादि हेतु ऋण अथवा दोनों, पात्रता अनुसार देना ।
हितग्राही अर्हताएं	:	पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति को ऋण/अनुदान दिया जाता है ।
हितग्राही चयन प्रक्रिया	:	पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों द्वारा जिला पंचायत को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करने पर ।
योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया	:	जिला पंचायत को आवेदन प्रस्तुत करने पर तथा सहायक पंजीयक सहकारी समितियां द्वारा अनुशंसा करने पर ऋण/अनुदान वितरण किया जाता है ।

परिशिष्ट-13

योजना का नाम	:	अनुसूचित जनजाति/जाति की मछुआ सहकारी समितियों को अनुदान
उद्देश्य	:	अनुसूचित जनजाति/जाति के लोगों को सहकारिता के माध्यम से मछली पालन कर रोजगार उपलब्ध कराना ।
योजना का स्वरूप एवं आच्छादन	:	आदिवासी उपयोजना क्षेत्र एवं अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र
हितग्राही अर्हताएं	:	पंजीकृत समिति होना आवश्यक है ।
हितग्राही चयन प्रक्रिया	:	समिति द्वारा जिला पंचायत/जिला मत्स्य पालन अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर ।

योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया

समिति को पंचायत के अथवा शासकीय या अर्द्ध-शासकीय तालाबों को पट्टे पर लेकर मत्स्योद्योग विभाग के मार्गदर्शन में मत्स्य पालन करने पर निम्नानुसार अनुदान की पात्रता है :-

कार्य जिसके लिए अनुदान की पात्रता होगी	योजनान्तर्गत पट्टा अवधि में सहायकी (अनुदान) का प्रतिशत			अनुदान की अधिकतम सीमा (रूपयों में)
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष से पांचवें वर्ष तक	छठवें वर्ष से शेष पट्टा अवधि तक	
हिस्सा पूंजी अंशदान हेतु	100%	100%	100%	5000/-
तालाब पट्टा राशि भुगतान हेतु	100%	50%	25%	42500/-
मत्स्यबीज क्रय एवं संचयन हेतु	100%	50%	25%	52500/-
जाल, नाव के क्रय हेतु	100%	100%	-	50000/-
			योग:	150000/-

परिशिष्ट-14

योजना का नाम	: शिक्षण प्रशिक्षण (मछुआरों का प्रशिक्षण)
उद्देश्य	: सभी श्रेणी के मछुओं को मछली पालन की तकनीक एवं मछली पकड़ने जाल बुनने, सुधारने एवं नाव चलाने का प्रशिक्षण
योजना का स्वरूप एवं आच्छादन	: प्रशिक्षण केन्द्र तक आने-जाने का किराया एवं रूपये 750/- की वृत्ति प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को दी जाती है। जाल बुनने के लिए राशि रूपये 400/- नायलॉन धागा भी निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। यह सुविधा प्रदेश के सभी जिलों में उपलब्ध है।
हितग्राही अर्हताएं	: प्रशिक्षण हेतु मछुआरों का चयन जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति द्वारा किया जाएगा। : विभाग द्वारा 15 दिवसीय मत्स्य पालन प्रशिक्षण दिया जाता है। : मत्स्य कृषक विकास अभिकरण अंतर्गत 10 दिवस का प्रशिक्षण दिया जाता है।
योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया	: चयन किए गए मछुआरों को जिले में स्थित उत्पादन केन्द्रों पर विभाग के अधिकारियों द्वारा सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

परिशिष्ट-15

योजना का नाम	:	शिक्षण प्रशिक्षण (मछुआरों का अध्ययन भ्रमण)
उद्देश्य	:	प्रगतिशील मछुआरों को उन्नत मछली पालन का प्रत्यक्ष अनुभव कराने हेतु राज्य के बाहर भ्रमण पर भेजना
योजना का स्वरूप एवं आच्छादन	:	देश के अन्य राज्यों में अपनाई जा रही मत्स्य पालन तकनीकों से मत्स्य पालकों को परिचित कराना ।
हितग्राही चयन प्रक्रिया	:	मछुओं का चयन जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जाता है ।
योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया	:	जिला पंचायत द्वारा मछली पालन में सक्रिय मछुआरों की चयनित सूची के आधार पर अध्ययन भ्रमण पर भेजा जाता है ।

परिशिष्ट 16

योजना का नाम	:	मत्स्य जीवियों का दुर्घटना बीमा (केन्द्र प्रवर्तित कार्यक्रम)
उद्देश्य	:	मत्स्य पालन कार्य के समय दुर्घटना की स्थिति में मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना ।
योजना का स्वरूप एवं आच्छादन	:	प्रदेश में इस व्यवसाय से जुड़े हितग्राहियों को स्थाई अपंगता पर रुपये 25,000/- तक की सहायता तथा मृत्यु पर रुपये 50,000/- तक बीमाकृत व्यक्ति के परिवार को अर्थिक सहायता दी जाती है ।
हितग्राही की अर्हताएं	:	मछली पालने/मछली पकड़ने के कार्य में सक्रिय रूप से संलग्न पंजीकृत मछुआ/अनुसूचित जाति एवं जनजाति की समितियां/समूहों के सदस्य तथा मत्स्य कृषक विकास अभिकरण के हितग्राही जो 18 से 65 वर्ष की आयु वर्ग में हों ।
हितग्राही चयन प्रक्रिया	:	मत्स्योद्योग विभाग/मत्स्य महासंघ अथवा मत्स्य कृषक विकास अभिकरण योजना के हितग्राही जो मछली पालन/मछली मारने के कार्य में संलग्न हैं, से निर्धारित प्रपत्र पर मछुआरों के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त होने पर एक वर्ष के लिए बीमा करने की कार्यवाही की जाती है ।
योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया	:	सभी बीमा योग्य मछुआरों की सूची तथा बीमा प्रीमियम की राशि बैंक ड्राफ्ट द्वारा राष्ट्रीय मछुआ सहकारी संघ मर्यादित, नई दिल्ली को भेजकर बीमा कराया जाता है ।

परिशिष्ट-17

योजना का नाम	:	बचत-सह-राहत योजना (केन्द्र प्रवर्तित कार्यक्रम)
उद्देश्य	:	बंद ऋतु अवधि में मछुआ सहकारी समितियों के सदस्यों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना ।
योजना का स्वरूप एवं आच्छादन	:	योजना प्रदेश के सभी जिलों में संचालित की जावेगी । चयनित हितग्राहियों को योजना का लाभ लेने के लिए वर्ष के कार्यदिवस के 9 माहों में रुपये 50/- प्रति माह प्रति हितग्राही के मान से बचत राशि डाक घर/ग्रामीण बैंक में जमा करना होगी एवं इस प्रकार 9

माह में कुल जमा राशि रूपये 450/- शासन से देय
सम्तुल्य राशि रूपये 450/-(225/- केन्द्र शासन +
225/- राज्य शासन) सम्मिलित कर कुल रूपये
900/- का भुगतान बंद ऋतु के तीन माहों में रूपये
300/- के मान से हितग्राही को किया जावेगा ।
पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति के सक्रिय सदस्य

हितग्राही की अर्हताएं

परिशिष्ट-18

योजना का नाम	जनश्री बीमा योजना
उद्देश्य	प्रदेश के मछुआरों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा पहुंचाने के लिए
योजना का स्वरूप एवं आच्छादन	योजना प्रदेश के सभी जिलों में संचालित की जावेगी । बीमा योजना अंतर्गत बीमित व्यक्ति को बीमा अवधि में सामान्य मृत्यु होने पर नामांकित वारिस को रूपये 30,000/- की राशि देय होगी । 2- दुर्घटना में मृत्यु होने पर रूपये 75,000/- देय हैं । 3- दुर्घटना में स्थाई पूर्ण अपंगता होने पर बीमा धारी को रूपये 75,000/- देय हैं । 4- दुर्घटना में दो हाथ या दो हाथ-पांव या एक आंख एक हाथ या पांव अक्षम होने पर रूपये 75,000/- देय है । 5- दुर्घटना में एक आंख या एक हाथ या पांव अक्षम होने पर रूपये 37,500/- देय है । 6- योजना का महत्वपूर्ण आकर्षण यह है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के बच्चों को कक्षा 9वीं से 12वीं के बीच अध्ययन कर रहे अधिकतम दो बच्चों को प्रति तिमाही रूपये 300/- छात्र वृत्ति अधिकतम 4 वर्ष के लिए प्राप्त होगी ।
हितग्राही की अर्हताएं	पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति/समूह के 18 से 60 वर्ष के न्यूनतम 25 सदस्य
योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया	योजना अंतर्गत बीमा धारी का वार्षिक बीमा प्रीमियम रूपये 200/- का है जिसमें से रूपये 100/- बीमा कंपनी द्वारा सामाजिक सुरक्षा निधि से तथा शेष रूपये 100/- प्रीमियम में से रूपये 50/- मछुआ द्वारा एवं शेष 50/- राज्य शासन द्वारा वहन किया जाना है ।

परिशिष्ट-19

योजना का नाम	मत्स्य कृषक विकास अभिकरण (केन्द्र प्रवर्तित योजना)
उद्देश्य	ग्रामीण क्षेत्र के गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों को स्वरोजगार योजना हेतु प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता एवं मत्स्य पालन हेतु 10 वर्षीय पट्टे पर तालाब उपलब्ध कराना । स्वंय की भूमि पर तालाब बनाने पर मत्स्य पालकों को अनुदान ।
योजना का स्वरूप एवं आच्छादन	विश्व बैंक की सहायता से केन्द्र प्रवर्तित योजना, मध्य प्रदेश के सभी जिलों में संचालित की जा रही है ।

हितग्राही की अर्हताएं

- मछली पालन से संबंध कोई भी व्यक्ति हितग्राही हो सकता है ।
- 1- गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले सभी वर्ग के मछुआरे, जो ग्रामीण तालाबों को पट्टे पर लेकर अभिकरण अन्तर्गत मत्स्य पालन करते हैं, हितग्राही बनाये जाते हैं ।
 - 2- स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण कर अभिकरण योजना अन्तर्गत मछली पालन करने वाले व्यक्ति भी हितग्राही होते हैं ।
- योजना क्रिया-व्ययन की प्रक्रिया :
- तालाब मरम्मत एवं सुधार, पानी के आगम निर्गम द्वारा पर जाली लगाने पर अनुदान केवल एक बार ।
- इनपुट्स लागत (मत्स्यबीज, आहार, उर्वरक, खाद, रोग प्रतिरोधक दवाईयों के लिये) केवल एक बार ।
- मत्स्य पालकों, प्रशिक्षुओं के 10 दिवसीय प्रशिक्षण के लिये क्षतिपूर्ति भत्ता ।
- मत्स्य पालकों की स्वयं की भूमि पर नवीन पोखरों के निर्माण आगम-निर्गम मार्गों पर जाली लगाने, कम गहरे नलकूप इत्यादि पर अनुदान केवल एक बार
- सुअर पालन, मुर्गी पालन, बतख पालन के साथ मछली पालने की समन्वित पालन परियोजना ।
- जिन पालकों द्वारा 3000/- किलो
- अभिकरण अन्तर्गत जिले के मत्स्य पालकों को उन्नत तकनीकी के आधार पर मत्स्य पालन करने के लिये हितग्राहियों का पंजीयन किया जाता है । उन्हें ग्राम पंचायत के तालाब पट्टे पर दिलाये जाते हैं तथा तदनुसार आर्थिक सहायता (अनुदान) दिया जाता है ।
- रूपये 60,000/- प्रति हैक्टर लागत का सामान्य-20 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रूपये 12000/-) प्रति हैक्टर अनुसूचित जाति/जनजाति -25 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रूपये 15000/-) प्रति हैक्टर अनुदान देने का प्रावधान है ।
- (अधिकतम 5.00 हैक्टर तक के प्रकरण में अनुदान देय है)
- मत्स्य पालन के लिए रूपये 30,000/- प्रति हैक्टर लागत का सामान्य-20 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रूपये 6000/-) प्रति हैक्टर अनुसूचित जाति/जनजाति -25 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रूपये 7500/-) प्रति हैक्टर अनुदान देने का प्रावधान है ।
- (अधिकतम 5.00 हैक्टर तक के प्रकरण में अनुदान देय है)
- क्षतिपूर्ति भत्ता रूपये 100/- प्रतिदिन तथा प्रशिक्षण स्थल तक आने जाने का व्यय अध्ययन भ्रमण के लिये) सभी श्रेणी के हितग्राहियों के लिए ।
- रूपये 2.00 लाख प्रति हैक्टर लागत का सामान्य-20 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रूपये 40,000/-) प्रति हैक्टर अनुसूचित जाति/जनजाति --25 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रूपये 50,000/-) प्रति हैक्टर अनुदान देने का प्रावधान है ।
- (अधिकतम 5.00 हैक्टर तक के प्रकरण में अनुदान देय है)
- रूपये 80,000/- प्रति हैक्टर इकाई लागत का सामान्य-20 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रूपये 16,000/-) प्रति हैक्टर अनुसूचित जाति/जनजाति -25 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रूपये 20,000/-) प्रति हैक्टर अनुदान देने का प्रावधान है ।
- सभी श्रेणी के हितग्राहियों को

हितग्राही की अर्हताएं

मछली पालन से संबंध कोई भी व्यक्ति हितग्राही हो सकता है ।

1- गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले सभी वर्ग के मछुआरे, जो ग्रामीण तालाबों को पट्टे पर लेकर अभिकरण अन्तर्गत मत्स्य पालन करते हैं, हितग्राही बनाये जाते हैं ।

2- स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण कर अभिकरण योजना अन्तर्गत मछली पालन करने वाले व्यक्ति भी हितग्राही होते हैं ।

योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया

अभिकरण अन्तर्गत जिले के मत्स्य पालकों को उन्नत तकनीकी के आधार पर मत्स्य पालन करने के लिये हितग्राहियों का पंजीयन किया जाता है । उन्हें ग्राम पंचायत के तालाब पट्टे पर दिलाये जाते हैं तथा तदनुसार आर्थिक सहायता (अनुदान) दिया जाता है ।

तालाब मरम्मत एवं सुधार, पानी के आगम-निर्गम द्वारों पर जाली लगाने पर अनुदान केवल एक बार ।

रूपये 60,000/- प्रति हैक्टर लागत का सामान्य-20 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रूपये 12000/-) प्रति हैक्टर अनुसूचित जाति/जनजाति -25 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रूपये 15000/-) प्रति हैक्टर अनुदान देने का प्रावधान है ।

(अधिकतम 5.00 हैक्टर तक के प्रकरण में अनुदान देय है)

इनपुट्स लागत (मत्स्यबीज, आहार, उर्वरक, खाद, रोग प्रतिरोधक दवाईयों के लिये) केवल एक बार ।

मत्स्य पालन के लिए रूपये 30,000/- प्रति हैक्टर लागत का सामान्य-20 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रूपये 6000/-) प्रति हैक्टर अनुसूचित जाति/जनजाति -25 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रूपये 7500/-) प्रति हैक्टर अनुदान देने का प्रावधान है ।

(अधिकतम 5.00 हैक्टर तक के प्रकरण में अनुदान देय है)

मत्स्य पालकों, प्रशिक्षुओं के 10 दिवसीय प्रशिक्षण के लिये क्षतिपूर्ति भत्ता ।

क्षतिपूर्ति भत्ता रूपये 100/- प्रतिदिन तथा प्रशिक्षण स्थल तक आने जाने का व्यय अध्ययन भ्रमण के लिये । सभी श्रेणी के हितग्राहियों के लिए ।

मत्स्य पालकों की स्वयं की भूमि पर नवीन पोखरों के निर्माण आगम-निर्गम मार्गों पर जाली लगाने, कम गहरे नलकूप इत्यादि पर अनुदान केवल एक बार

रूपये 2.00 लाख प्रति हैक्टर लागत का सामान्य-20 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रूपये 40,000/-) प्रति हैक्टर अनुसूचित जाति/जनजाति -25 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रूपये 50,000/-) प्रति हैक्टर अनुदान देने का प्रावधान है ।

(अधिकतम 5.00 हैक्टर तक के प्रकरण में अनुदान देय है)

सुअर पालन, मुर्गी पालन, बत्ख पालन के साथ मछली पालने की समन्वित पालन परियोजना ।

रूपये 80,000/- प्रति हैक्टर इकाई लागत का सामान्य-20 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रूपये 16,000/-) प्रति हैक्टर अनुसूचित जाति/जनजाति -25 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रूपये 20,000/-) प्रति हैक्टर अनुदान देने का प्रावधान है ।

जिन पालकों द्वारा 3000/- किलो

सभी श्रेणी के हितग्राहियों को

प्रतिवर्ष/प्रतिहैक्टर मछली
उत्पादन लिया गया है उनको
उत्पादन बढ़ाने के लिये वायुयंत्र
(ऐरियेटर) क्रय पर अनुदान

मीठे पानी के डींगा पालन की छोटी
हैचरी स्थापित करने पर अनुदान

फीड मिल स्थापना हेतु अनुदान

स्वीकृति के अधिकार

3000 किलोग्राम/हैक्टर/वर्ष के मत्स्योत्पादन के स्तर
को प्राप्त करने के लिए अधिकतम 1 एच.पी.के 2
एरिएटर/5 एच.पी. का एक डीजल पंपसेट
1.00 हैक्टर जलक्षेत्र के लिए रू0 50,000/- प्रति
यूनिट लागत का 25 प्रतिशत अनुदान (अधिकतम सीमा
रू0 12,500/-) प्रतियेक एरिएटर/पंपसेट के लिए
सभी श्रेणी के हितग्राहियों को अनुदान देने का प्रावधान
है ।

5-10 मिलियन पी.एल/वर्ष की छमता वाली एक छोटी
ताजा जल डींगा हैचरी की यूनिट लागत 8.00 लाख
रूपये है केवल उद्योगपतियों को 1.60 लाख रूपये की
अधिकतम सीमा के साथ 20 प्रतिशत की दर से राज
सहायता/सभी वर्ग के मछुआरों के लिए ।

लागत का 20 प्रतिशत तक अनुदान रूपये 1.00 लाख
की सीमा तक निजी व्यवसायी/संस्था को

जिला पंचायतें उपर्युक्त अनुसार बजट उपलब्ध होने की
दशा में सहायता राशि स्वीकृत कर अनुदान वितरित
करेंगी ।